[2018] 6 एस. सी. आर 861

नगरपालिका निगम, उज्जैन एवं अन्य

बनाम

बी.वी.जी इंडिया लिमिटेड एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 3330/2018)

27 मार्च, 2018

[रंजन गोगोई**,** आर**.** भानुमति और मोहन एम**.** शांतनगौदर**,** न्यायमूर्तिगण**]**

टेंडर-अपीलकर्ता-निगम ने "नगरपालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट का दरवाजे से दरवाजे तक संग्रह और परिवहन' करने के लिए एजेंसी की नियुक्ति के लिए एन. आई. टी. जारी किया-दो लिफाफा प्रणाली यानी एक तकनीकी बोली और एक वित्तीय बोली का पालन करते हुए बोलियां आमंत्रित की गईं-पक्षों की तकनीकी बोलियों का एक तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा अच्छी तरह से विश्लेषण किया गया और एन. आई. टी. के विनिर्देशों के अनुसार अंक दिए गए-वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन प्रकोष्ठ निजी लिमिटेड (जी. डब्ल्यू. एम. सी.) ने तकनीकी और वित्तीय भारित अंकों के आधार पर उच्चतम अंक प्राप्त किए और इसलिए अनुबंध दिया गया-पीड़ित, असफल बोलीदाता (प्रतिवादी संख्या 1) ने रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दी और जी. डब्ल्यू. एम. सी. के पक्ष में दिए गए अनुबंध को रद्द कर दिया-अपील पर कहा गया:तकनीकी विशेषज्ञ प्रत्यर्थी 2 द्वारा एक निर्णय पर गुणात्मक रूप से निर्णय लिया गया था।, उच्च न्यायालय को अपीलीय प्राधिकरण के रूप में ऐसे निर्णय के गुण-दोष में जाने की आवश्यकता नहीं थी, विशेष रूप से जब कोई पक्षपात या दुर्भावना नहीं थी-कार्रवाई करते समय विशेषज्ञ निकाय की ओर से कोई अवैधता, मनमानेपन, तर्कहीनता या अनुचितता नहीं थी-इसके अलावा, निर्णय सफल बोलीदाता के सार्वजनिक हित और कार्य अनुभव को ध्यान में रखते हुए लिया गया था-प्रत्यर्थी संख्या के पक्ष में विचाराधीन क्षेत्र में अनुभव का प्रमाण देने वाले किसी भी दस्तावेज के अभाव में।, उच्च न्यायालय वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता की संख्या के शीर्ष के तहत अंक बढ़ाने में सही नहीं था-उच्च न्यायालय भी प्रतिक्रिया के लिए अंक बढ़ाने में उचित नहीं था, क्योंकि प्रत्यर्थी नं 1 ने इस तथ्य को छिपा दिया था कि उसे विभिन्न नगर निगमों से कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुए थे और इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने मामले में शामिल जनहित के तत्व को नजरअंदाज कर दिया-इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा लागू वित्तीय बोली के मूल्यांकन का तरीका भी उचित नहीं था और अतार्किक था, जिसके कारण अनुचितता न्याय का और उपहास हुआ-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 नियम. 22।

टेंडर-प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा-अभिनिर्धारितप्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य मनमानेपन को रोकना है-प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य यह जांचना है कि क्याचयन या निर्णय कानूनी रूप से किया गया है और यह जांचना नहीं है कि क्या चयनया निर्णय सही है-यदि प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया या निर्णय दुर्भावनापूर्ण नहीं है और किसी का पक्ष लेने का इरादा नहीं है; यदि अपनाई गई प्रक्रिया या निर्णय न तो इतना मनमाना है और न ही तर्कहीन है कि मामले के तथ्यों के तहत यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई भी जिम्मेदार प्राधिकरण यथोचित रूप से और प्रासंगिक कानून के अनुसार कार्य करते हुए इस तरह के निर्णय पर नहीं पहुंच सकता था; और यदि

सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं होता है, तो कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए – भारत का संविधान – अनुच्छेद226

टेंडर-क्या न्यायिक समीक्षा के दायरे में है, उच्च न्यायालय सामान्यत: बोलीदाता की तकनीकी योग्यता के मुद्दे पर विशेषज्ञ सलाहकार के फैसले पर सवाल उठा सकता है जब सलाहकार बोलीदाता के गैर-प्रदर्शन के आधार सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है-अभिनिर्धारितन्यायिक समीक्षा के दायरे में, उच्च न्यायालय आम तौर पर एक बोलीदाता की तकनीकी योग्यता के मुद्दों पर विशेषज्ञ सलाहकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था जब सलाहकार बोलीदाता के गैर-प्रदर्शन के आधार सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है-न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अनुचितता, तर्कहीनता या मनमानेपन हो और पूर्वाग्रह और दुर्भावना से बचना हो।

टेंडर-क्या कोई बोलीदाता जो स्पष्ट रूप से यह घोषणा करते हुए बोली लगाता है कि वह इसे स्वतंत्र रूप से और बिना किसी भागीदार, संघ या संयुक्त उद्यम के जमा कर रहा है, अपनी योग्यता के लिए किसी तीसरे पक्ष की तकनीकी योग्यता पर भरोसा कर सकता है-

अभिनिर्धारित - नहीं।

टेंडर-क्या उच्च न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में पक्षों की तकनीकी बोलियों और वित्तीय बोलियों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकता है-अभिनिर्धारित - न्यायालय अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पक्षों की तकनीकी बोलियों और वित्तीय बोलियों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने के लिए खुला नहीं है क्योंकि जब तक दुर्भावना, किसी का पक्ष लेने का इरादा या पक्षपात, मनमानेपन, तर्कहीनता या विकृति की सीमाएं पूरी नहीं होती हैं, जब तक कि कोई निर्णय विशुद्ध रूप से सार्वजनिक हित पर नहीं लिया जाता है, तब तक न्यायालय को सामान्य रूप से न्यायिक संयम का प्रयोग करना चाहिए।

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय के द्वारा

अभिनिर्धारित**:1.** निविदाओं का मूल्यांकन करना और अनुबंध प्रदान करना अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक लेनदेन/अनुबंध हैं।यदि अनुबंध देने से संबंधित निर्णय जनहित में है**,** तो न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप नहीं करेंगे**,** भले ही अनुबंध देने में प्रक्रियात्मक विचलन या त्रुटि हो।लोक हित की अनदेखी करके निजी हित की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बनावटी शिकायत के साथ असफल बोलीदाताओं द्वारा किए गए प्रयासों और कुछ तकनीकी और प्रक्रियात्मक खामियों पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर उद्देश्य को विफल करने के प्रयासों को अदालतों द्वारा दृढ़ता से संभाला जाना चाहिए।यदि कोई तर्कहीनता या मनमानेपन नहीं है तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग से बचा जाना चाहिए दूसरी तरफ**,** कार्रवाई करते समय विशेषज्ञ निकाय की ओर से कोई अवैधता**,** मनमानेपन**,** तर्कहीनता या अनुचितता नहीं है।इसी तरह**,** निर्णय लेते समय निगम की ओर से या तकनीकी विशेषज्ञ की ओर से कोई पक्षपात या दुर्भावना नहीं है इसके अलावा**,** निर्णय जनहित और सफल बोलीदाता के कार्य अनुभव को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है।

2. ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सेल प्राइवेट लिमिटेड **(**जी**.** डब्ल्यू**.** एम**.** सी**.)** ने उच्चतम अंक प्राप्त किया**,** अर्थात**,** एन**.** आई**.** टी**.** की शर्तों के अनुसार परियोजना को प्रदान करने के लिए यह समग्र रूप से योग्य बोलीदाता के रूप में उभरा परिणामस्वरूप इसे एन**.** आई**.** टी**.** की शर्तों के अनुसार एल **1** घोषित किया गया था। तकनीकी विशेषज्ञ प्रत्यर्थी क्रमांक **2** द्वारा एक निर्णय के रूप में गुणात्मक रूप से नहीं लिया गया था। उच्च न्यायालय को अपीलीय प्राधिकरण के रूप में ऐसे निर्णय के गुण**-**दोष में जाने की आवश्यकता नहीं है**,** विशेष रूप से तब**,** जब कोई पक्षपात या *दुर्भावना* नहीं थी।**(**पैरा **39) (892-a-c)**

3. बोलीदाता को संघ के सदस्य के रूप में शामिल किसी भी अन्य कंपनी/फर्म का विवरण निर्धारित करने की आवश्यकता थी**,** जिसके लिए प्रत्यर्थी नं**1** ने नकारात्मक में जवाब दिया**,** जिसका अर्थ है कि विचाराधीन प्रक्रिया में कोई अन्य कंपनी/फर्म एक संघ सदस्य के रूप में प्रत्यर्थी संख्या **1** के साथ शामिल नहीं थी ।दूसरे शब्दों में**,** प्रत्यर्थी नं**1** ने संघ के किसी भी सदस्य के बिना अपने दम पर बोली प्रस्तुत की **,**इसके बावजूद**,** प्रत्यर्थी नं**1** ने किसी तीसरे पक्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।इसके बारे में**,** प्रत्यर्थी नं**1**द्वारा रखी गई निर्भरता तीसरे पक्ष के नाम से जारी कथित अनुभव प्रमाण पत्र पर प्रत्यर्थी नं**1** को अपने कार्य अनुभव को दिखाने के समर्थन के लिए मदद नहीं करेगा। पी**.** सी**.** एम**.** सी**.** प्रमाण पत्र न तो प्रत्यर्थी सं**.1** का तीन साल का अनुभव दर्शाता है और न ही वह प्रत्यर्थी न**.1** के द्वारा प्रतिदिन **300** एम**.** टी**.** से अधिक कचरा/कचरा संग्रह करने को दर्शाता ह।चूंकि प्रत्यर्थी नं**.1** ने अपनी बोली में **"**निविदाकार के बारे में बुनियादी जानकारी**"** कॉलम के तहत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि कोई अन्य कंपनी **(**या तो संयुक्त उद्यम या संघ**)** इसके साथ शामिल नहीं है**,** प्रत्यर्थी नं ।**1** तीसरे पक्ष के नाम से जारी कथित अनुभव प्रमाण पत्र पर भरोसा नहीं कर सकता था।प्रत्यर्थी न**.** **1** द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रमाण पत्र ने भी पात्रता आवश्यकता को पूरा नहीं किया।

4. इसके अलावा**,** उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र दिनांकित **21.4.2015** पर भरोसा किया गया **,** आक्षेपित निर्णय का हिस्सा नहीं था उत्तरदाता संख्या **1** द्वारा प्रस्तुत मूल बोली दस्तावेज और यह था रिट में पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका।।चूँकि ऐसा प्रमाणपत्र मूल बोली दस्तावेज का हिस्सा नहीं था**,** इसलिए उच्च न्यायालय ऐसे प्रमाणपत्र पर विश्वास करने में सही नहीं था जो प्रत्यर्थी नं**.1** ने पहली बार प्रस्तुत किया था । अदालतें निविदा प्रक्रिया में किसी भी प्रतिभागी को बोली दस्तावेज में बदलाव या पूरक करने की अनुमति नहीं देंगी।प्रत्यर्थी सं**.1** के पक्ष में विचाराधीन क्षेत्र में अनुभव का प्रमाण देने वाले किसी भी दस्तावेज के अभाव में**,** अपीलार्थीगण का यह तर्क देना उचित है कि उच्च न्यायालय वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता की संख्या के शीर्ष के तहत अंकों को **5** से बढ़ाकर **7** करने में सही नहीं है। इसी तरह**,** उच्च न्यायालय अंक **10** से बढ़ाकर **15** करने में सही नहीं था**,** जहां तक की नगर निगम द्वारा प्रति दिन घर**-**घर जाकर ठोस कचरे का प्रबंधन संग्रह के संबंध में है ।

5.1 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिक्रिया के लिए अंक **5** से बढ़ाकर **10** करना उचित नहीं था।उच्च न्यायालय प्रतिक्रियाशीलता के लिए अंक नहीं बढ़ा सकता था क्योकि प्रत्यर्थी संख्या**1** ने इस तथ्य को दबा दिया था कि उसे बीबीएमपी और अन्य नगर निगमों से कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुए थे।

5.2 एन**.** आई**.** टी**.** में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि निविदाकर्ता को उसके खिलाफ कारण दर्शाओ नोटिस का खुलासा करना आवश्यक था।बोली दस्तावेज में उसी से संबंधित विशिष्ट कॉलम के बावजूद**,** प्रत्यर्थी नं**1** ने उक्त कॉलम को खाली छोड़ दिया था।एक बार जब एक विशिष्ट खंड होता है जिसमें अनुबंध के उल्लंघन के लिए कारण बताए जाने के नोटिस का उल्लेख करने की आवश्यकता होती है**,** तो यह निविदाकार पर सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्यकारी था।प्रत्यर्थी नं**.1** ने बी**.** बी**.** एम**.** पी**.** और जिला पंचायत**,** दादरा और नगर हवेली**,** सिलवासा द्वारा ठोस प्रबंधन से संबंधित काम के संबंध में उसके खिलाफ जारी **73** कारण बताओ नोटिसों को छिपा दिया था।प्रत्यर्थी नं**1,** द्वारा छिपाए जाने के बावजूद तकनीकी विशेषज्ञ ने अपने स्वयं के स्रोतों से जानकारी एकत्र की और पाया कि बीबीएमपी और अन्य द्वारा प्रत्यर्थी नं**.1** के विरुद्ध**,73** कारण बताओ सूचना पत्रों को पाया जो प्रकट करता है प्रत्यर्थी नं**1** ने घर**-**घर जाकर ठोस कचरे के संग्रह के काम में उचित परिश्रम नहीं दिखाया थ।इसलिए**,** उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि तकनीकी समिति के लिए यह खुला नहीं था कि वह प्रत्यर्थी नं **1** के खिलाफ जारी किए गए पूर्व**-**उल्लिखित **73** कारण दर्शाओ नोटिसों को ध्यान में रखे। तकनीकी बोली का मूल्यांकन करना सही नहीं है।जिस उद्देश्य के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं**,** उसे ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा विशेषज्ञ सलाहकार की उचित परिश्रम और अनुभव की सराहना की जानी चाहिए थी।**73** कारण बताओ सूचना पत्र **.** प्रत्यर्थी नं **1** के विरुद्ध जारी किया जाना स्थापित करता है कि प्रत्यर्थी नं **1** का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था और इसलिए इस तरह के नोटिसों को तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा ध्यान में रखा गया था।सभी निष्पक्षता में**,** प्रत्यर्थी नं**1** को अपनी बोली में इन कारकों का खुलासा करना चाहिए था । उसी को ध्यान में रखते हुए**,** उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिक्रियाशीलता के लिए अंक **5** से बढ़ाकर **10** करना उचित नहीं था।**[**पैरा **44] [894-**ड**D-E; 895-A-E]**

6. संबंधित प्राधिकारी अनुबंध के तहत सौंपे जाने वाले काम के आधार पर सबसे अच्छे व्यक्ति या सबसे अच्छे उद्धरण का पता लगाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है।यदि किसी बोलीदाता को घर**-**घर जाकर कचरा इकट्ठा करने आदि के मामले में विभिन्न नगर निगमों के खिलाफ कई कारण**-**बताओ नोटिसों का सामना करना पड़ा है**,** तो न्यायालय प्राधिकरण को ऐसे अयोग्य व्यक्ति**/**कंपनी को काम करने के लिए चुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।अंततः जनहित की रक्षा की जानी चाहिए।जनता का अनुबंध को समय पर पूरा किये जाने में सीधा हित रखेगी ताकि सेवाएं जनता के लिए तेजी से और प्रभावी ढंग से उपलब्ध हो सकें।शुरू किए गए कार्यों की गुणवत्ता में भी जनता की रुचि होगी।काम की खराब गुणवत्ता या वस्तुओं से भारी सार्वजनिक कठिनाई हो सकती है और गलतियों को सुधारने या दोषों को सुधारने या कभी**-**कभी पूरे काम को फिर से करने में भी पर्याप्त वित्तीय परिव्यय हो

सकता है।रोजमर्रा के आधार पर घर-घर कचरा इकट्ठा करने में लापरवाही या देरी से निश्चित रूप से सड़कों और सार्वजनिक संपत्तियों पर कचरा इकट्ठा होगा, जिससे स्वास्थ्य को खतरा होगा और शहर की सफाई भी कम होगी।चूँकि जनता प्रत्यक्ष रूप से रुचि रखती है और प्रभावित होगी यदि सौंपे गए काम को उचित रूप से नहीं किया जाता है, और जैसा कि तकनीकी विशेषज्ञ ने पाया है कि प्रत्यर्थी नं **1** यह काम सौंपे जाने के लिए एक उपयुक्त कंपनी नहीं होगी क्योंकि इसे विभिन्न नगर निगमों से **73** कारण बताओ नोटिसों का सामना करना पड़ा था, इसलिए उच्च न्यायालय प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था।उच्च न्यायालय ने इस मामले में शामिल जनहित के तत्व की अनदेखी की है।

कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास निगम लिमिटेड बनाम कैवैलेट इंडिया लिमिटेड और अन्य। (2005)4 एससीसी 456:[2005] 2 एससीआर 1183; बी. एस. एन. जोशी और सन्स लिमिटेड बनामनायर कोल सर्विसेज लिमिटेड **(2006) 11** एससीसी 548:[2006] 8 पूरक।एस. सी. आर. 11; दिल्ली विज्ञान मंच बनाम भारत संघ (1996) 2 एस. सी. सी. 405:[1996] 2 एससीआर 767;मोंटेकार्लो लिमिटेड बनामएनटीपीसी लिमिटेड **(2016) 15** एससीसी **272:[2016] 8** एससीआर **224-** पर निर्भर किया ।

टाटा सेल्युलर बनाम भारतीय संघ **(1994) 6** एससीसी 651:[1994] 2 पूरक।एस. सी. आर. 122; मास्टर मेरिन सर्विसेज **(**पी**)** लिमिटेड बनाममेटकाफ और हॉजकिन्सन **(2005) 6** एस**.** सी**.** सी**. 138:[2005] 3** एस**.** सी**.** आर**. 666;** स्टर्लिंग कंप्यूटर लिमिटेड बनाम**.**एम एंड एन प्रकाशन लिमिटेड (1993) 1 एस. सी. सी. 445:[1993] 1 एस. सी. आर. **81;** रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम आई**.** वी**.** आर**.** निर्माण लिमिटेड (1999) 1 एससीसी 492:[1998] 3 पूरक।एससीआर 421; एयर इंडिया लिमिटेड बनाम कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (2000) 2 एससीसी 617: [2000] 1 एससीआर 505; यू. पी. वित्तीय निगम।बनाम नैनी ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस लिमिटेड।(1995) 2 एससीसी 754:[1993] 2 एससीआर 149; यू. पी. वित्तीय निगम बनाम जेम कैप **(**इंडिया**)** प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। **(1993)** 2 एससीसी 299: [1993] 2 एस. सी. आर. 149; कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम बनाम माइक्रो कास्ट रबर और संबद्ध उत्पाद (पी) लिमिटेड और अन्य। (1996) 5 एससीसी 65:[1996] 3 पूरक एस**.** सी**.** आर**. 40;** सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम**.**एस**.** एल**.** एल**.-**एस**.** एम**.** एल**.** **(**संयुक्त उद्यम संघ**) (2016) 8** एस**.** सी**.** सी**. 622:[2016] 4** एस**.** सी**.** आर**. 890;** एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम**.**नागपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड और अन्य। **(2016) 16** एस**.** सी**.** सी**. 818;** जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य। **(2007)** 14 एससीसी 517:[2006] 10 पूरक।एससीआर 606; मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम प्रबंधन अध्ययन संघ (2009) 6 एस. सी. सी. 171; त्रिलोचन मिश्रा आदि बनाम राज्य उड़ीसा और अन्य (1971) 3 एस. सी. सी. 153; रमन्ना दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण **(1979) 3** एससीसी **489:[1979] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1014- संदर्भित।**

[1994] 2 Suppl. SCR 122	निर्दिष्ट	पैरा**6**
[2005] 3 SCR 666	निर्दिष्ट	पैरा **7**
[1993] 1 SCR 81	निर्दिष्ट	पैरा **8**
[1998] 3 Suppl. SCR 421	निर्दिष्ट	पैरा**11**
[2000] 1 SCR 505	निर्दिष्ट	पैरा **12**
[1993] 2 SCR 149	निर्दिष्ट	पैरा **13**
[1996] 3 Suppl. SCR 40	निर्दिष्ट	पैरा**14**
[2005] 2 SCR 1183	आधारित	पैरा **15**
[2006] 8 Suppl. SCR 11	आधारित	पैरा **16**
[1996] 2 SCR 767	आधारित	पैरा **18**
[2016] 4 SCR 890	निर्दिष्ट	पैरा **19**
(2016) 16 SCC 818	निर्दिष्ट	पैरा **20**
[2006] 10 Suppl. SCR 606	निर्दिष्ट	पैरा **20**
(2009) 6 SCC 171	निर्दिष्ट	पैरा **20**
(1971) 3 SCC 153	निर्दिष्ट	पैरा **27**
[1979] 3 SCR 1014	निर्दिष्ट	पैरा **28**
[2016] 8 SCR 224	आधारित	पैरा **29**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2018 की सिविल अपील संख्या 3330

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और दिनांक 07.04.2016 के आदेश से, 2015 की रिट याचिका No.4676 में इंदौर की खंडपीठ

सहित

2018 की सिविल अपील Nos.3331 और 3332

उपस्थित पक्षकारो के लिए अधिवक्ता- विकास सिंह, श्याम दीवान, गुरु कृष्णकुमार, गौरव बनर्जी, कैलाश वासदेव, वरिष्ठ अधिवक्ता।, मिश्रा सौरभ, अंकित के. लाल, देवदत्त कामत, राजेश इनामदार, आदित्य भट, जावेदुर रहमान, गौतम तालुकदार, नितिन एस. तंबवेकर, शेषलता साई बंडारू, साहिल टागोत्रा, सुश्री आर. चटर्जी, संजय के. शांडिल्य, अपूर्वा अग्रवाल, उमराव सिंह, मुश्ताक अहमद

न्यायालय का निर्णय दिया गया

मोहन एम. शांतनागौदर, जे. 1.अनुमति दी गई

2. बी. वी. जी. इंडिया लिमिटेड, पुणे (प्रत्यर्थी नं 12016 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 11967 से उत्पन्न सिविल अपील में) द्वारा दायर 2015 की रिट याचिका संख्या 4676 को अनुमति देते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर की खंडपीठ द्वारा दिनांकित 07.04.2016 आदेश पारित किया गया , जिसके परिणामस्वरूप ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सेल प्राइवेट लिमिटेड (प्रत्यर्थी नं 3 2016 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 11967 से उत्पन्न सिविल अपील) के पक्ष में उज्जैन नगर निगम द्वारा नगर निगम के ठोस कचरे के घर-घर संग्रह और परिवहन के लिए, इन अपीलों का विषय है दिए गए अनुबंध को रद्द कर दिया गया।

3. नगर निगम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सेल प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान और श्री गुरु कृष्णकुमार, मैसर्स इको सेव सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (तकनीकी विशेषज्ञ) के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कैलाश वासदेव और बीवीजी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव बनर्जी को सुना गया।

4. इन अपीलों की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः

उज्जैन नगर निगम (2016 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 11967 से उत्पन्न नागरिक अपील में अपीलकर्ता) ने एक एजेंसी की नियुक्ति के लिए दिनांक 01.05.2015 पर निविदा आमंत्रित करने का नोटिस (संक्षेप में, "एन. आई. टी".) जारी किया ।

उज्जैन शहर में 10 वर्षों की अवधि के लिए "नगरपालिका ठोस अपशिष्ट घर-घर संग्रह और परिवहन" का कार्य करना।निविदा सूचना दो लिफाफा प्रणाली का पालन करते हुए पात्र बोलीदाताओं से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित करने के लिए थी, यानी एक तकनीकी बोली के लिए और दूसरी वित्तीय बोली के लिए।नगर निगम ने अपशिष्ट प्रबंधन समाधान में एक तकनीकी विशेषज्ञ मेसर्स इको सेव सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (प्रत्यर्थी सं. 2 तकनीकी और वित्तीय बोलियों की जांच और मूल्यांकन के लिए 2016 की एसएलपी (सी) संख्या 11967 से उत्पन्न नागरिक अपील में) की नियुक्ति की थी। ।निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 21.05.2015 थी।हालाँकि, एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था और ऑनलाइन निविदाएँ जमा करने की तिथि 01.06.2015 तक बढ़ा दी गई थी ।तकनीकी बोली का उद्घाटन 02.06.2015 के लिए और वित्तीय बोली का उद्घाटन 04.06.2015 पर तय किया गया था।तीन बोलीदाता नगर निगम द्वारा निविदा के प्रदान पर विचार हेतु लिए गए।तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा पक्षों की तकनीकी बोलियों का गहन विश्लेषण किया गया और एन. आई. टी. के विनिर्देशों के अनुसार अंक दिए गए।

एन. आई. टी. के पात्रता मानदंड के खंड 1 में प्रावधान किया गया है कि कंपनी को 01.05.2010 से पांच साल पहले पंजीकृत किया गया होना चाहिए।एन. आई. टी. के पात्रता मानदंड के खंड 9 ने दो सदस्यों के एक संघ की अनुमति दी, लेकिन विषय वस्तु पर विशिष्ट अनुभव की आवश्यकता के साथ।एन. आई. टी. के अनुच्छेद III में निर्दिष्ट किया गया है कि तकनीकी पात्रता का भारांक 80 प्रतिशत होगा और वित्तीय अंक का भारांक 20 प्रतिशत होगा।तकनीकी मूल्यांकन में प्राप्त अंकों का योगदान 80 प्रतिशत होगा और वित्तीय मूल्यांकन एल1 बोलीदाता तय करने के लिए अंतिम अंकों में 20 प्रतिशत का योगदान देगा।जिन तकनीकी मापदंडों को मापने की आवश्यकता थी, उन्हें एन. आई. टी. के अनुच्छेद III में भी इंगित किया गया था केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जिन्होंने तकनीकी मूल्यांकन में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों ।

निविदा अनुच्छेद III में एन. आई. टी. में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के कुल भारित अंकों को लेकर प्राप्त अंतिम अंक के आधार पर प्रदान की जानी थी। प्रत्यर्थी नं.1 ने तकनीकी मूल्यांकन में कम अंक प्राप्त किए क्योंकि इसे भारित अंक में 58.94 मिला, जबकि सफल बोलीदाता यानी प्रत्यर्थी नं 3 को 67.36 का भारित तकनीकी स्कोर मिला।तकनीकी और वित्तीय भारित अंकों के आधार पर अंतिम विश्लेषण पर, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सेल प्राइवेट लिमिटेड ने उच्चतम अंक प्राप्त करके तीन बोलीदाताओं में पहला स्थान (एल1 बोलीदाता) प्राप्त किया।इसलिए उसे अनुबंध दिया गया।अनुबंध के इस तरह के प्रदान किए जाने पर असफल बोलीदाता (बी. वी. जी इंडिया लिमिटेड, एल2 बोलीदाता.) द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके सवाल उठाया गया था जिसे विवादित निर्णय द्वारा अनुमति दी गई।

इन मामलों के लंबित रहने के दौरान, 26.04.2016 पर, इस न्यायालय ने सफल बोलीदाता, अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 3 के पक्ष में उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के संचालन पर रोक का एक अंतरिम आदेश दिया जिसके परिणामस्वरूप सफल बोलीदाता को अनुबंध दिया गया था और वह सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है।

5. इन अपीलों में शामिल प्रश्न इस प्रकार हैंः

(ए) क्या न्यायिक समीक्षा के दायरे में, उच्च न्यायालय सामान्यत: एक बोलीदाता की तकनीकी योग्यता के मुद्दे पर विशेषज्ञ सलाहकार के फैसले पर सवाल उठा सकता है जब सलाहकार बोलीदाता के गैर-प्रदर्शन के आधार सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है;

(ख) क्या कोई बोलीदाता जो स्पष्ट रूप से यह घोषणा करते हुए बोली प्रस्तुत करता है कि वह इसे स्वतंत्र रूप से और बिना किसी भागीदार, संघ या संयुक्त उद्यम के प्रस्तुत कर रहा है, अपनी योग्यता के लिए किसी तीसरे पक्ष की तकनीकी योग्यता पर भरोसा कर सकता है;

(ग) क्या उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पक्षों की तकनीकी बोलियों और वित्तीय बोलियों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना उचित है?

6. जिन सिद्धांतों को प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा में लागू किया जाना है, विशेष रूप से जो निविदा की स्वीकृति और अनुबंध के प्रदान से संबंधित हैं, उन पर इस न्यायालय द्वारा टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ, (1994) 6 एस. सी. सी. 651 में बहुत विस्तार से विचार किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत मनमानेपन या पक्षपात को रोकने के लिए सरकारी निकायों द्वारा संविदात्मक शक्तियों के प्रयोग पर लागू होंगे।हालाँकि, न्यायिक समीक्षा की उस शक्ति के प्रयोग में अंतर्निहित सीमाएँ हैं।सरकार, राज्य के वित्त की संरक्षक होती है।इससे राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा होने की उम्मीद है।सबसे कम या किसी अन्य निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सरकार के पास हमेशा उपलब्ध रहता है।लेकिन, निविदा स्वीकार या अस्वीकार करते समय संविधान के अनुच्छेद 14 में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।यदि सरकार सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या सर्वश्रेष्ठ उद्धरण प्राप्त करने का प्रयास करती है तो अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।चुनने के अधिकार को मनमाना शक्ति नहीं माना जा सकता है।बेशक, यदि उक्त शक्ति का प्रयोग किसी संपार्श्विक उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो उस शक्ति का प्रयोग निरस्त कर दिया जाएगा।

7. आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्रवाई में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है। न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, बल्कि केवल निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा करता है।न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णय को सही करने की विशेषज्ञता नहीं है।यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाती है, तो यह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करेगा जो स्वयं गलत हो सकता है।सरकार को अनुबंध की स्वतंत्रता होनी चाहिए।दूसरे शब्दों में, एक निष्पक्षता प्रशासनिक क्षेत्र या एक अर्ध-प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए एक आवश्यक सहवर्ती है।हालाँकि, निर्णय का परीक्षण न केवल वेड्सबरी के तर्कसंगतता के सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा किया जाना चाहिए, बल्कि मनमानेपन से भी मुक्त होना चाहिए और पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए या दुर्भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए।(देखें।मास्टर मेरिन सर्विसेज (पी) लिमिटेड के मामले में निर्णय v.मेटकाफ **&** हॉजकिन्सन **(2005) 6** एस**.** सी**.** सी**. 138)**।

8. स्टर्लिंग कंप्यूटर लिमिटेड बनामएम एंड एन पब्लिकेशंस लिमिटेड (1993)1 एस. सी. सी. 445, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"18. न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य की ओर से किए गए अनुबंधों के संबंध में, न्यायालय मुख्य रूप से इस बात से संबंधित है कि क्या "निर्णय लेने की प्रक्रिया" में कोई कमी रही है।इस संबंध में चीफ कांस्टेबल ऑफ़ दा नार्थ वेल्स पुलिस v बनाम इवांस [(1982) 3 ऑल ई. आर. 141] का संदर्भ हो सकता है जहाँ यह कहा गया था किः(पृ. 144ए)

"न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार किया जाए, न कि यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकरण, उचित व्यवहार के बाद, किसी ऐसे मामले पर पहुंचता है जिसे वह अदालत की नजर में सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कानून द्वारा अधिकृत या आदेशित है।"

न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायालय सार्वजनिक निकायों या राज्य द्वारा किए गए अनुबंध की शर्तों के विवरण की जांच नहीं कर सकता है।इस तरह की किसी भी जांच के दायरे पर न्यायालयों की अंतर्निहित सीमाएँ हैं।लेकिन उसी समय जैसा कि उपरोक्त मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा कहा गया था, चीफ कांस्टेबल ऑफ़ दा नार्थ वेल्स पुलिस बनाम इवांस [(1982) 3 ऑल ई. आर. 141] अदालतें निश्चित रूप से जांच कर सकती हैं कि क्या "निर्णय लेने की प्रक्रिया" उचित, तर्कसंगत, मनमाना नहीं और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाली थी।

19. यदि अनुबंध उस प्रक्रिया की अनदेखी किए बिना किया गया है जिसे बुनियादी प्रकृति कहा जा सकता है और राज्य और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर वस्तुनिष्ठ विचार के बाद, तो न्यायालय ऐसे अनुबंध में प्रवेश करने के लिए किए गए चयन के संबंध में अपनी राय को प्रतिस्थापित करके अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।लेकिन, एक बार जब किसी प्राधिकरण द्वारा अनुबंध करने के उद्देश्य से अपनाई गई प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 14 के जनादेश के खिलाफ माना जाता है, तो अदालतें इस तरह की कार्रवाई को यह कहते हुए नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं कि संबंधित अधिकारियों को संविदात्मक मामलों में कुछ स्वतंत्रता या स्वतंत्रता होनी चाहिए और अदालत द्वारा कोई भी हस्तक्षेप इस तरह का निर्णय लेने के लिए कार्यपालिका के अनन्य अधिकार पर अतिक्रमण के बराबर है।"

9. रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम आई. वी. आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड**, (1999) 1** एस**.** सी**.** सी**. 492,** इस न्यायालय ने मामले पर कुछ विस्तार से विचार किया और **(**पैरा **9)** में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"9...वाणिज्यिक निर्णय पर पहुँचने में जो बिंदु सर्वोपरि हैं, वे व्यावसायिक बिंदु ये होंगेः

(1) वह मूल्य जिस पर दूसरा पक्ष काम करने के लिए तैयार है;

(2) क्या प्रस्तावित माल या सेवाएं अपेक्षित विनिर्देशों की हैं;

(3) क्या निविदा देने वाले व्यक्ति के पास विनिर्देशों के अनुसार माल या सेवाओं को वितरित करने की क्षमता है।जब पर्याप्त श्रमशक्ति की भागीदारी या विशिष्ट कौशल की आवश्यकता वाले बड़े कार्यों के अनुबंधों की पेशकश की जानी है, तो नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निविदाकार की वित्तीय क्षमता भी महत्वपूर्ण है;

(4) माल या सेवाओं को वितरित करने या आवश्यक मानक और गुणवत्ता का काम करने के लिए निविदाकार की क्षमता;

(5) निविदाकर्ता का पिछला अनुभव और क्या उसने पहले भी इसी तरह का काम सफलतापूर्वक पूरा किया है।

(6) सामान या सेवाओं को वितरित करने में लगने वाला समय; और अक्सर

(7) निविदाकर्ता की अनुवर्ती कार्रवाई करने, दोषों को सुधारने या अनुबंध के बाद सेवाएं देने की क्षमता।"

जब भी राज्य या सार्वजनिक निकाय या राज्य की एजेंसी इस तरह के अनुबंध में प्रवेश करती है, तो सार्वजनिक कानून या सार्वजनिक हित का एक तत्व ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन में भी शामिल हो सकता है।उसी फैसले में,अर्थात, रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड (ऊपर), लोकहित के तत्व को भी नोट किया। इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:-

"10. जनहित के ये तत्व क्या हैं?(1) सार्वजनिक धन अनुबंध के प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाएगा; (2) जो सामान या सेवाएं चालू की जा रही हैं, वे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो सकती हैं, जैसे कि सड़कों, सार्वजनिक भवनों, बिजली संयंत्रों या अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं का निर्माण।(3) जनता अनुबंध के समय पर पूरा होने में सीधे रुचि रखेगी ताकि सेवाएं जनता के लिए तेजी से उपलब्ध हो सकें।(4) निविदा कर्ता द्वारा किए गए कार्य या आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता में भी जनता की रुचि होगी।काम या वस्तुओं की खराब गुणवत्ता भारी सार्वजनिक कठिनाई और पर्याप्त वित्तीय परिव्यय का कारण बन सकती है या तो गलतियों को सुधारने में या दोषों को सुधारने में या यहां तक कि कभी-कभी पूरे काम को फिर से करने में-इस प्रकार अधिक परिव्यय या सार्वजनिक धन शामिल होता है और सेवाओं, सुविधाओं या वस्तुओं की उपलब्धता में देरी होती है, जैसे कि वर्तमान मामले की तरह, बिजली परियोजना को चालू करने में देरी, बिजली की कमी, औद्योगिक विकास की मंदता, आम जनता के लिए कठिनाई और पर्याप्त लागत वृद्धि का कारण बन सकती है।

11. जब किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या राज्य द्वारा किसी अनुबंध के अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जाती है, तो न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी याचिका पर विचार करने में सार्वजनिक हित का कुछ तत्व शामिल है।उदाहरण के लिए, यदि विवाद विशुद्ध रूप से दो निविदाकारों के बीच है, तो अदालत को यह देखने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि क्या मुकदमे में जनहित का कोई तत्व शामिल है।दो निविदाकारों द्वारा दी गई कीमतों में केवल अंतर यह तय करने में निर्णायक हो सकता है या नहीं कि इस तरह के वाणिज्यिक लेनदेन में हस्तक्षेप करने में कोई सार्वजनिक हित शामिल है या नहीं।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अदालत के हस्तक्षेप से, प्रस्तावित परियोजना में काफी देरी हो सकती है, इस प्रकार लागत किसी भी बचत की तुलना में कहीं अधिक बढ़ जाती है, जिसे अदालत अंततः एक निविदाकार या दूसरे निविदाकार के पक्ष में विवाद का फैसला करके सार्वजनिक धन में प्रभावित करेगी। इसलिए, जब तक कि अदालत का यह समाधान नहीं हो जाता है कि सार्वजनिक हित की पर्याप्त मात्रा है, या लेन-देन दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है, तब तक अदालत दो प्रतिद्वंद्वी निविदाकारों के बीच विवादों में अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।"

10. प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य मनमानेपन को रोकना है। प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या चयन या निर्णय कानूनी रूप से किया गया है और यह जांचना नहीं है कि चयन या निर्णय सही है या नहीं। यदि प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया या निर्णय दुर्भावनापूर्ण नहीं है और किसी के पक्ष में करने का इरादा नहीं है; यदि अपनाई गई प्रक्रिया या निर्णय न तो इतना मनमाना है और न ही तर्कहीन है कि मामले के तथ्यों के तहत यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई भी जिम्मेदार प्राधिकरण उचित रूप से और प्रासंगिक कानून के अनुसार कार्य करते हुए इस तरह के निर्णय पर नहीं पहुंच सकता था; और यदि जनहित प्रभावित नहीं होता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

11. यह सुस्थापित है कि अनुबंध का प्रदान किया जाना, चाहे वह किसी निजी पक्ष द्वारा हो या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा या राज्य द्वारा, अनिवार्य रूप से एक वाणिज्यिक लेनदेन है।वाणिज्यिक निर्णय पर पहुँचने में, जो विचार सर्वोपरि हैं, वे व्यावसायिक विचार हैं।इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वह मूल्य शामिल होगा जिस पर पार्टी काम करने के लिए तैयार है; क्या प्रस्तावित वस्तु या सेवाएँ आवश्यक विनिर्देशों की हैं; और क्या बोली लगाने वाले व्यक्ति के पास विनिर्देशों के अनुसार वस्तु या सेवाएँ देने की क्षमता है।अब यह भी अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि अधिकारी/राज्य किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अपना तरीका चुन सकते हैं और यदि निविदा की शर्तें इस तरह की छूट की अनुमति देती हैं तो वह वास्तविक कारणों से कोई भी छूट देने के लिए स्वतंत्र है।राज्य, उसके निगमों, उपकरणों और एजेंसियों का सार्वजनिक कर्तव्य है कि वे सभी संबंधित लोगों के प्रति निष्पक्ष रहें।यहां तक कि जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ दोष पाया जाता है, तब भी न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए और उनका उपयोग केवल लोक हित को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए, न कि केवल कानूनी मुद्दे को बनाने के लिए।न्यायालय को हमेशा व्यापक जनहित को ध्यान में रखना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं।केवल तभी जब यह निष्कर्ष निकलता है कि भारी जनहित में हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।(फैसले में देखें एयर इंडिया लिमिटेड बनाम कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डेलिमिटेड **(2000) 2** एस**.** सी**.** सी**. 617** का मामला**)**।

12. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में। v. नैनी ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस लिमिटेड **(1995) 2** एस**.** सी**.** सी**. 754,** इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अदालतों के लिए यह निर्णय लेने का विषय नहीं था कि क्या वित्तीय निगम को चूक करने वाली इकाई के पुनर्जीवित या पुनर्वास करने के लि एउसमे निवेश करना चाहिए और क्या इस तरह के निवेश के बाद भी इकाई व्यवहार्य होगी या क्या वित्तीय निगम को कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री से अपने ऋण का भुगतान करना चाहिए।न्यायालय ने कहा कि एक निगम एक स्वतंत्र स्वायत्त वैधानिक निकाय होने के नाते जिसका अपना संविधान और पालन करने के लिए नियम और कार्य और दायित्व होते हैं, वह अपने कार्यों के निर्वहन में अपने अधिकार के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है।उसके द्वारा बनाए गए विचार और उसके द्वारा लिए गए निर्णय उसके पास मौजूद जानकारी और उसे प्राप्त सलाह के आधार पर और उसके अपने दृष्टिकोण और गणनाओं के अनुसार होंगे।ऐसी स्थिति में, विशेष रूप से वाणिज्यिक मामलों में, न्यायालयों को उन निकायों के निर्णयों के लिए अपने निर्णय को जोखिम में नहीं डालना चाहिए जिन्हें वह कार्य सौंपा गया है।न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि

"जब तक इसकी कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण नहीं है, तब तक इसके द्वारा लिया गया गलत निर्णय भी चुनौती देने योग्य नहीं है।यह अदालतों या किसी तीसरे पक्ष के लिए नहीं है कि वह निगम के निर्णय के लिए अपने निर्णय को प्रतिस्थापित करे, चाहे वह कितना भी विवेकपूर्ण, वाणिज्यिक या व्यावसायिक क्यों न हो।अतः निगम के आचरण में जो भी विवेक (या इसकी कमी) हो, निगम को उत्तरदायी बनाने के लिए उस पर हमला नहीं किया जा सकता है।"

13. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम बनाम जेम कैप (इंडिया) प्रा. लि.लिमिटेड एवं अन्य(1993) 2 एस. सी. सी. 299 में यह कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निगम के कार्यों और कार्यों पर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं बैठ सकता है और उन्हें सही करने की कोशिश नहीं कर सकता है, और यह कि प्रशासनिक कानून में विकसित निष्पक्षता का सिद्धांत, रिट न्यायालयों को प्रशासनिक प्राधिकरणों पर अपीलीय प्राधिकरणों में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित नहीं था।इस न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि निष्पक्षता एक तरफा मार्ग नहीं है, और निगम के लिए आवश्यक निष्पक्षता को इस हद तक नहीं चलाया जा सकता है कि वह अपने बकाया की वसूली करने से अक्षम हो जाए।

14. कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम बनाम माइक्रो कास्ट रबर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड और अन्य। (1996) 5 एस. सी. सी 65 में विवाद यह था कि क्या वित्तीय निगम उधारकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने में गलत था, जिसे उचित मूल्यांकन के बाद, खरीदारों द्वारा दिए गए प्रस्ताव से कम माना गया था।इस न्यायालय ने वित्तीय निगम की कार्रवाई को बरकरार रखते हुए कहा कि उक्त वित्तीय निगम की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए यदि उसने दिशानिर्देशों के अनुरूप व्यापक रूप से कार्य किया है।

15. कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास निगम लिमिटेड बनाम कैवैलेट इंडिया लिमिटेड और अन्य (2005) 4 एससीसी 456, इस न्यायालय ने विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित कानूनी सिद्धांतों को निर्धारित किया, अर्थात्।-

(i) उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए वित्तीय निगम के कार्यों और कार्यों पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं बैठता है और उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है।निष्पक्षता का सिद्धांत रिट अदालतों को प्रशासनिक प्राधिकरणों पर अपीलीय प्राधिकरणों में परिवर्तित नहीं करता है।

(ii) निगम और उसके देनदार के बीच के मामले में, एक रिट अदालत का दो स्थितियों के अलावा कुछ कहने का अधिकार नहीं हैः

(क) निगम की ओर से वैधानिक उल्लंघन हुआ है, या

(ख) जहां निगम न्याय्हीन तरीके से कार्य करता है अर्थात अनुचित तरीके से

।(iii) वाणिज्यिक मामलों में, न्यायालयों को उन निकायों के निर्णयों के लिए अपने निर्णयों को जोखिम में नहीं डालना चाहिए जिन्हें वह कार्य सौंपा गया है।

(iv) जब तक वित्तीय निगम की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण नहीं है, तब तक उसके द्वारा लिए गए गलत निर्णय को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।यह अदालतों या किसी तीसरे पक्ष के लिए अपने निर्णय को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं है, हालांकि, वित्तीय निगम के निर्णय के लिए अधिक विवेकपूर्ण, वाणिज्यिक या व्यावसायिक हो सकता है।अतः निगम के आचरण में जो भी विवेक (या इसकी कमी) हो, निगम को उत्तरदायी बनाने के लिए उस पर हमला नहीं किया जा सकता है।

(v) सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री के मामले में, प्रमुख विचार बिक्री की जाने वाली संपत्ति के लिए सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित करना है और यह केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है

जब बिक्री की प्रक्रिया में अधिकतम सार्वजनिक भागीदारी हो और हर किसी को प्रस्ताव देने का अवसर हो।

(vi) सार्वजनिक नीलामी अधिकतम सार्वजनिक भागीदारी को आमंत्रित करके सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने का एकमात्र तरीका नहीं है, निविदा और बातचीत को भी अपनाया जा सकता है।

(vii) वित्तीय निगम से हमेशा अपेक्षा की जाती है कि वह एक ऐसी प्रक्रिया का पालन करके परिसंपत्तियों को बेचकर अधिकतम बिक्री मूल्य प्राप्त करने का प्रयास करे जो पारदर्शी और स्वीकार्य हो, उचित प्रचार के बाद, जहां भी संभव हो और यदि कोई कारण इंगित किया जाता है या चूक के लिए कारण दिखाया जाता है, तो उस पर अपने उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए और इस बारे में एक सचेत निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या अधिनियम की धारा 29 के तहत कार्रवाई की आवश्यकता है।इसके बाद, जब्त इकाई के निपटान के लिए तौर-तरीकों पर काम करना होगा।

(viii) निष्पक्षता एक तरफा नहीं हो सकती।वित्तीय निगमों के लिए आवश्यक निष्पक्षता को इस हद तक लागू नहीं किया जा सकता है कि वे अपने बकाया की वसूली से अक्षम हो जाएं।जबकि उधारकर्ता पर उसके द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का पालन करने के लिए जोर नहीं दिया जाता है, अकेले वित्तीय निगम को निष्पक्षता के नाम पर हाथ और पैर नहीं बाँधा जा सकता है।

(ix) सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रमुख विचार के विरुद्ध तर्कसंगतता का परीक्षण किया जाना चाहिए।

16. इसी तरह, बी. एस. एन. जोशी एंड संस लिमिटेड बनाम.नायर कोल सर्विसेज लिमिटेड (2006) 11 एस. सी. सी. 548, इस न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के दायरे और अनुबंध देने के मामले में उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप का सारांश देते हुए इस प्रकार टिप्पणी कीः

"65. हम न्यायिक समीक्षा में वरिष्ठ न्यायालयों की व्यापक भूमिका से अनजान नहीं हैं।

66. हम न्यायिक समीक्षा के नए सिद्धांतों के प्रति भी अपनी आंखें बंद नहीं कर रहे हैं जो विकसित किए जा रहे हैं; लेकिन उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अब जो कानून है, उसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

(i) यदि आवश्यक शर्तें हैं, तो उनका पालन किया जाना चाहिए;

(ii) यदि सामान्य छूट की कोई शक्ति नहीं है, तो सामान्य रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा और जहां सभी पक्षों के लिए ऐसी सभी शर्तों का पूरी तरह से पालन करना संभव है, वहां सख्त अनुपालन के सिद्धांत को लागू किया जाएगा।

(iii) तथापि, यदि ऐसी किसी भी शर्त के संबंध में सभी पक्षों के संबंध में विचलन किया जाता है, तो आम तौर पर फिर से छूट की शक्ति मौजूद मानी जा सकती है;

(iv) जिन पक्षों ने इस तरह की छूट का लाभ उठाया है, उन्हें आम तौर पर निविदा अनुबंध के किसी अन्य भाग के अनुपालन के संबंध में एक अलग रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, विशेष रूप से जब वह निविदा की सभी शर्तों का पूरी तरह से पालन

करने की स्थिति में नहीं था, जब तक कि अदालत अन्यथा ऐसी शर्त में छूट नहीं पाती जो प्रकृति में आवश्यक होने के कारण ढील नहीं दी जा सकती थी और इस प्रकार वह पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना थी।

(v) जब सभी निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेज पर उचित विचार करने के बाद उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है और यदि यह अंततः पाया जाता है कि सफल बोलीदाताओं ने वास्तव में उस उद्देश्य और उद्देश्य का काफी हद तक पालन किया था जिसके लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई थीं, तो उसमें सामान्य रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

(vi) ठेकेदार गुट नहीं बना सकते।यदि इसके बावजूद, उनकी बोलियों पर विचार किया जाता है और उन्हें सबसे कम निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरों के साथ मिलान करने का प्रस्ताव दिया जाता है, तो जनहित को प्राथमिकता दी जाएगी।

(vii) जहां कोई निर्णय विशुद्ध रूप से जनहित पर लिया गया है, वहां न्यायालय को सामान्य रूप से न्यायिक संयम का प्रयोग करना चाहिए।"

17. टाटा सेल्युलर (ऊपर) में, इस न्यायालय ने पैरा 94 में इस प्रकार टिप्पणी करते हुए प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा के दायरे और अनुबंध देने में शक्तियों के प्रयोग से संबंधित सीमाओं का उल्लेख कियाः

(1) आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्रवाई में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है।

(2) न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, बल्कि केवल उस तरीके की समीक्षा करता है जिसमें निर्णय लिया गया था।

(3) न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णय को सुधारने की विशेषज्ञता नहीं है।यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाती है, तो यह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करेगा, जो स्वयं गलत हो सकता है।

(4) निविदा के निमंत्रण की शर्तें न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं हो सकती हैं क्योंकि निविदा का निमंत्रण अनुबंध के दायरे में है।आम तौर पर, निविदा स्वीकार करने का निर्णय या अनुबंध को कई स्तरों के माध्यम से बातचीत की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अक्सर, इस तरह के निर्णय विशेषज्ञों द्वारा गुणात्मक रूप से किए जाते हैं।

(5) सरकार को अनुबंध की स्वतंत्रता होनी चाहिए।दूसरे शब्दों में, निष्पक्षता एक प्रशासनिक क्षेत्र या अर्ध-प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए एक आवश्यक संगत है।हालाँकि, निर्णय का परीक्षण न केवल वेदनेस्बरी के तर्कसंगतता के सिद्धांत (ऊपर बताए गए इसके अन्य तथ्यों सहित) के अनुप्रयोग द्वारा किया जाना चाहिए, बल्कि पक्षपात से प्रभावित या दुर्भावना से प्रेरित मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए।

(6) निर्णयों को रद्द करने से प्रशासन पर भारी प्रशासनिक बोझ पड़ सकता है और इससे खर्च में वृद्धि हो सकती है।"

उसी निर्णय में, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि संविदात्मक शक्तियों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में अंतर्निहित सीमाएँ हैं।इस न्यायालय ने कहा कि निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य उन मामलों की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग होगा, जिन पर

उक्त सिद्धांत को लागू करने की मांग की गई है।राज्य को सबसे कम या किसी अन्य निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार है, बशर्ते कि वह सबसे अच्छा व्यक्ति या सबसे अच्छा उद्धरण प्राप्त करने का प्रयास करे।

18. दिल्ली विज्ञान मंच बनाम भारत संघ (1996)2 SCC 405 के पैरा 13 में न्यायालय ने ईस प्रकार अवलोकित किया

"13...सरकार या प्राधिकारी की ओर से किए गए अनुबंधों के संबंध में भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय, जिन्हें संविधान न्यायालयों के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य माना जा सकता है, किसी भी याचिकाकर्ता की शिकायत की जांच करते समय संबोधित करना होगा कि क्या निर्णय एक या दूसरे आधार पर दूषित किया गया है।यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यह प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है जो इसकी वैधता पर सवाल उठाता है कि इस तरह के निर्णय को कानून द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया को अपनाने के कारण , या अविश्वास के कारण या उन कारकों को ध्यान में रखते हुए जो अप्रासंगिक हैं दूषित किया गया है।इस दायित्व का निर्वहन केवल न्यायालय के मन में संदेह पैदा करके नहीं किया जाता है, बल्कि न्यायालय को संतुष्ट करके किया जाता है कि प्राधिकरण या निकाय जो निर्णय लेने की शक्ति के साथ निहित एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाया है जो संविधान के अनुच्छेद 14 के परीक्षण को संतुष्ट नहीं करती है या जो विचाराधीन क़ानून के प्रावधानों के खिलाफ है या अप्रत्यक्ष उद्देश्य से काम किया है प्रत्येक दावे का परीक्षण प्रासंगिक विचारों पर अपनी योग्यता के आधार पर होता। समाज में बदलते परिदृश्यों और परिस्थितियों में, अदालतें न्यायिक आत्मसंयम के नियम का पालन नहीं कर रही हैं।लेकिन साथ ही ऐसी शक्ति वाले प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले सभी निर्णयों का न्यायालय द्वारा परीक्षण और जांच नहीं की जा सकती है।जहाँ तक वाणिज्यिक अनुबंधों का संबंध है, स्थिति और भी कठिन है।संसद ने उदारीकरण और विदेशी निवेशकों के लिए राष्ट्रीय द्वार खोलने की दिशा में एक राष्ट्रीय नीति को अपनाया और उसका समाधान किया है।"

(बल दिया गया)

19. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनामएस. एल. एल-एस. एम. एल. (जॉइंट वेंचरकंसोर्टियम) (2016) 8 एस. सी. सी. 622, यह निम्नानुसार अवलोकन किया गयाः

"38. जी. जे. फर्नांडीज बनाम कर्नाटक राज्य [(1990) 2 एस. सी. सी. 488] में रमन्ना दयराम शेट्टी (1979) 3 एस. सी. सी. 489 में निर्धारित दोनों सिद्धांतों की पुष्टि की गई थी।यह फिर से पुष्टि की गई कि निविदा जारी करने वाली पार्टी (नियोक्ता) को निविदा की शर्तों को "समय पर और सख्ती से लागू करने का अधिकार है"।यदि कोई पक्ष नियोक्ता को निविदा की शर्तों को सख्ती से लागू करने से रोकने के आदेश के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो अदालत ऐसा करने से इनकार कर देगी।यह भी पुष्टि की गई कि नियोक्ता निविदा के नियमों और शर्तों से विचलित हो सकता है यदि परिवर्तन सभी इच्छुक आवेदकों को समान रूप से प्रभावित करते हैं और आपत्तिजनक नहीं होते हैं। इसलिए, नियमों और शर्तों से विचलन तब तक स्वीकार्य है जब तक कि समान अवसर बनाए रखा जाता है और इसके परिणामस्वरूप रमन्ना दयराम शेट्टी के अर्थ में कोई मनमानेपन या भेदभाव नहीं होता है।

47. इस चर्चा का परिणाम यह है कि बोली या बोली लगाने वाले की स्वीकृति या अस्वीकृति के मुद्दे को न केवल असफल पक्ष के दृष्टिकोण से बल्कि नियोक्ता के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए।जैसा कि रमण दयराम शेट्टी में कहा गया है कि एन. आई. टी. की शर्तों को अनावश्यक या अनावश्यक होने के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।उन्हें एक अर्थ और आवश्यक महत्व दिया जाना चाहिए।जैसा कि टाटा सेल्युलर में बताया गया है कि प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने में न्यायिक संयम होना चाहिए।। सामान्तः नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय की दृढ़ता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है। निर्णय की दृढ़ता पर सवाल उठाया जा सकता है कि क्या यह अतार्किक या दुर्भावनापूर्ण है या किसी का पक्ष लेने का इरादा है या एक निर्णय "जो कोई जिम्मेदार प्राधिकरण उचित रूप से और प्रासंगिक कानून के अनुसार कार्य नहीं कर सकता था" जैसा किजगदीश मंडल में किया अभिनिर्धारित हुआ जिसे मिशिगन रबर में अनुसरित किया गया।"

(जोर दिया गया)

20.इस न्यायालय द्वारा एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वि. नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य (2016) 16 एस. सी. सी. 818 में न्यायिक हस्तक्षेप पर टिप्पणी की, जैसा कि नीचे दिया गया हैः

"15. हम यह जोड़ सकते हैं कि किसी परियोजना का मालिक या नियोक्ता, जिसने निविदा दस्तावेज लिखे हैं, उसकी आवश्यकताओं को समझने और उनकी सराहना करने और उसके दस्तावेजों की व्याख्या करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है। संवैधानिक न्यायालयों को निविदा दस्तावेजों की इस समझ और प्रशंसा को तब तक टालना चाहिए, जब तक कि समझ या प्रशंसा या निविदा शर्तों को लागू करने में दुर्भावना या विकृति न हो। यह संभव है कि किसी परियोजना का मालिक या नियोक्ता निविदा दस्तावेजों को एक व्याख्या दे सकता है जो संवैधानिक अदालतों को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यह अपने आप में दी गई व्याख्या में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं है।"

जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य **(2007) 14** एससीसी **517** और मीरुत विकास प्राधिकरण बनाम प्रबंधन अध्ययन संघ **(2009) 6**एससीसी **171** के मामलों में भी इसी तरह की टिप्पणियां की गईं।

21. इस प्रकार, केवल तभी जब कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया इतनी मनमानी या तर्कहीन हो कि कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी यथोचित या कानूनी रूप से ऐसे निर्णयों पर नहीं पहुंच सकता था, तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। हालाँकि, यदि यह प्रामाणिक और जनहित में है, तो न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, भले ही कोई प्रक्रियात्मक कमी हो। समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत वाणिज्यिक लेन-देन के क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। जहाँ कहीं भी लोक हित में उचित निर्णय लिया गया है, न्यायालय को आम तौर पर न्यायिक संयम का प्रयोग करना चाहिए, जब कोई निर्णय संबंधित द्वारा लिया जाता है। सभी निविदाकारों द्वारा अपनी योग्यता के आधार पर प्रस्तुत निविदा दस्तावेज पर उचित विचार करने पर यह पाया जाता है कि सफल बोलीदाता ने वास्तव में उस उद्देश्य और उद्देश्य का काफी हद तक पालन किया था जिसके लिए

आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई थीं, इसमें सामान्य रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

22. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उज्जैन नगर निगम उज्जैन शहर को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से "नगरपालिका ठोस अपशिष्ट घर-घर संग्रह और परिवहन" के लिए एक उपयुक्त एजेंसी नियुक्त करना चाहता था। इस संबंध में एन. आई. टी. जारी की गई थी। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि शहरीकरण नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है; नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट का अवैज्ञानिक प्रबंधन शहरी पर्यावरण को खराब करता है और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। शहरी भारत में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में विभिन्न अध्ययन किए गए हैं और रिपोर्ट दायर की गई हैं। इसके बावजूद, नगर पालिकाओं को नगर निगम के ठोस कचरे के उचित प्रबंधन में कठिनाई हो रही है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जो सतत महानगरीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण तत्व है, में पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए ठोस कचरे का पृथक्करण, भंडारण, संग्रह, स्थानांतरण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान शामिल है। असंसाधित, नगरपालिका का ठोस अपशिष्ट असंख्य बीमारियों के प्रसार का एक कारक बन जाता है। भारत के प्रमुख नगर निगमों/नगर पालिकाओं में से प्रत्येक ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए अपनी योजना के माध्यम से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। कुछ शहरों ने अपने द्वारा नियुक्त एजेंसियों के माध्यम से घर-घर जाकर ठोस कचरे का संग्रह शुरू किया। अब तक किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि भारत के अधिकांश शहर आवासीय इकाई में कचरे के पृथक्करण का दावा नहीं कर सकते हैं और औसतन केवल 70 प्रतिशत अपशिष्ट संग्रह देखा जाता है, जबकि शेष 30 प्रतिशत फिर से मिश्रित हो जाता है और शहरी वातावरण में नष्ट हो जाता है। चाहे जो भी हो, एकत्र किए गए कचरे को वैज्ञानिक रूप से संसाधित करना होगा। पर्यावरण अनुकूलता, लागत प्रभावशीलता और स्थानीय समुदाय के लिए स्वीकार्यता एक कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली प्राप्त करने के लिए प्रमुख विशेषताएँ हैं। घरों द्वारा उत्पादित अपशिष्ट को आमतौर पर सामुदायिक डिब्बे में स्थानांतरित किया जाता है। सड़कों की सफाई भी सामुदायिक डिब्बों तक अपना रास्ता खोज लेती है। इन सामुदायिक अपशिष्ट डिब्बों का उपयोग घरेलू कचरे के साथ निपटान डिब्बे के आसपास के अन्य आवश्यक वाणिज्यिक क्षेत्रों द्वारा भी किया जाता है, सिवाय इसके कि कुछ वाणिज्यिक परिसर या औद्योगिक इकाइयां भुगतान पर अपने कचरे को निपटान स्थलों पर स्थानांतरित करने के लिए नगरपालिका अधिकारियों को नियुक्त करती हैं। स्वास्थ्य खतरों के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका के ठोस कचरे का ठीक से प्रबंधन नहीं किया जाता है, नगर निगम नगरपालिका के ठोस कचरे के घर-घर संग्रह और परिवहन के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने के लिए निविदाएं जारी करने की योजना बना सकता है। आवश्यक रूप से, उपयुक्त एजेंसी का चयन करते समय, नगर निगम द्वारा उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।इसी प्रकार यह भी न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे नगर निगम द्वारा अनुबंध के आवंटन के विषय पर निर्णय लेते समय ऐसे कारकों को ध्यान में रखें।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (इसके बाद '2016 नियम' के रूप में संदर्भित) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय आदि और भारतीय रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों आदि के नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर लागू होते हैं। वे अधिसूचित औद्योगिक कस्बों, तीर्थयात्रियों के स्थानों, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व पर भी लागू होते हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा

समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है। 2016 के नियमों का नियम 22 कार्यान्वयन के लिए समय सीमा को अनिवार्य करता है। 2016 के नियमों के नियम 22 के तहत यह निर्दिष्ट किया गया है कि इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण स्थानीय निकायों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा उक्त नियमों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सीधे या संलग्न एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। नियम में आगे कहा गया है कि स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित अधिकारी घर-घर जाकर अलग किए गए कचरे का संग्रह और प्रसंस्करण या निपटान सुविधाओं के लिए ढके हुए वाहनों में इसका परिवहन सुनिश्चित करेंगे। यह कार्य नियमों के लागू होने की तारीख से दो साल के भीतर पूरा किया जाना है।इन नियमों से पहले, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000 की अनुसूची II में प्रावधान किया गया था कि नगरपालिका सामुदायिक बिन संग्रह, घर-घर संग्रह, या संग्रह के माध्यम से नगरपालिका के ठोस कचरे का घर-घर संग्रह करेगी।

23. नगर निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री विकास सिंह ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने चार बिंदुओं पर गलती की है, (i) बीवीजी इंडिया लिमिटेड (उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता) द्वारा प्रस्तुत पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) प्रमाण पत्र पर उच्च न्यायालय ने गलती से भरोसा किया है क्योंकि कथित अनुभव प्रमाण पत्र बीवीजी इंडिया लिमिटेड का नहीं बल्कि बीवीजी क्षितिज वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का था और बीवीजी क्षितिज वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीवीजी इंडिया लिमिटेड के साथ संबंध/संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।(ii)उच्च न्यायालय ने स्वयं निविदाओं का मूल्यांकन करने में एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में काम किया है और प्रतिक्रियाशीलता के लिए अंक 5 से बढ़ाकर 10 करने में गलती की है; (iii) वित्तीय बोली के मूल्यांकन के लिए विधि और सूत्र उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से लागू किए गए हैं; और (iv) सफल बोलीदाता, अर्थात् ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत मीरा भायंदर प्रमाण पत्र,उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से अभिलेख पर लिया जो कि तकनीकी मूल्यांकन के बादका था। अपीलार्थीगण की ओर से श्री श्याम दीवान और श्री गुरु कृष्णकुमार ने श्री विकास सिंह की दलीलों का समर्थन करते हुए जोरदार तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने निविदा दस्तावेज की भावना और ऐसे मामलों में विशेषज्ञों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले साबित सिद्धांत के साथ असंगत अंक आवंटित करके एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए व्यावहारिक रूप से तकनीकी विशेषज्ञ के स्थान पर कदम रखा है।

24. इसके विपरीत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव बनर्जी ने उच्च न्यायालय के फैसले के समर्थन में तर्क दिया कि उच्च न्यायालय बीवीजी इंडिया लिमिटेड की बोली को खारिज करते हुए तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारने में उचित है।

श्री गौरव बनर्जी, बीवीजी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बोली पर भरोसा करते हुए, जो सबसे कम है, तर्क देते हैं कि बीवीजी इंडिया लिमिटेड की बोली को समिति द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था क्योंकि यदि उक्त बोली स्वीकार की जाती है तो निगम के वित्तीय हित की रक्षा होगी।दूसरे शब्दों में, वह प्रस्तुत करता है कि किया जाने वाला काम, यदि बीवीजी, इंडिया लिमिटेड को सौंपा जाता है, तो सफल बोलीदाता की तुलना में सस्ती दरों पर किया जाएगा।

25. श्री कैलाश वासुदेव ने तकनीकि विशेषज्ञ की ओर से तर्क किए कि विशेषज्ञ ने निष्पक्ष तरीके से काम किया और जनहित को ध्यान में रखा प्रत्यर्थी नं 2 का एक डायरेक्टर कृषि-पर्यावरण वैज्ञानिक हैं और उन्हें नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के क्षेत्र में 22 वर्षों का अनुभव है। तकनीकी विशेषज्ञ पूरे भारत में विभिन्न नगर निगमों, राज्य सरकारों, नोडल एजेंसियों आदि को तकनीकी परामर्श प्रदान करता है। तकनीकी विशेषज्ञ पहले ही 77 से अधिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को सफलतापूर्वक शुरू कर चुके हैं। प्रत्यर्थी ने तकनीकी बोलियों और वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन करते समय अपने दिमाग का विधिवत उपयोग किया है। इसने सभी प्रासंगिक पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और एक रिपोर्ट दी है। विशेषज्ञ ने जहां भी एक विशेषज्ञ के रूप में अपना काम किया है, उसके खिलाफ दुर्भावना या पक्षपात का कोई आरोप नहीं है। हस्तगत मामले में भी, विशेषज्ञ ने अपने पद के प्रति सच्चा व्यवहार किया है और निगम और दलों द्वारा उस पर व्यक्त किए गए विश्वास के विपरीत कार्य नहीं किया है।

26. श्री बनर्जी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बोली को न केवल वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए, बल्कि तकनीकी बोली के मूल्यांकन के आधार पर भी स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, तकनीकी बोली में 80 प्रतिशत अंक होंगे जबकि वित्तीय बोली में 20 प्रतिशत अंक होंगे। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नगर निगम ने उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता को उचित महत्व दिया है न कि वित्तीय पहलू को, जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।त्रिलोचन मिश्रा आदि बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य **(1971) 3** एस**.** सी**.** सी**. 153** में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि सरकार को निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध करने का अधिकार है जो उसे अच्छी तरह से जानता है, और विशेष रूप से जिसने एक अवांछनीय या अनुपयुक्त या अप्रमाणित व्यक्ति की वरीयता में अतीत में अपने अनुबंधों का ईमानदारी से पालन किया है।

27. रमन्ना दयराम शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारतीय प्राधिकरण **(1979) 3** एस**.** सी**.** सी**. 489,** इस न्यायालय ने एक निविदा में आवश्यक शर्तों की व्याख्या के बारे में निम्नानुसार बात कीः

7. यह विधियों के रूप में दस्तावेजों पर समान रूप से लागू होने वाली व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि, अनिवार्य आवश्यकता के अलावा, न्यायालय को किसी दस्तावेज़ की भाषा को अतिप्रवाह कहने के लिए प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए और इसके बजाय शुरू में यह मानने के लिए इच्छुक होना चाहिए कि प्रत्येक शब्द का कोई प्रभाव है या कुछ उपयोग होना चाहिए। शब्दों को असंवेदनशील के रूप में अस्वीकार करना न्यायिक व्याख्या का अंतिम उपाय होना चाहिए, क्योंकि यह सामान्य ज्ञान पर आधारित एक प्राथमिक नियम है कि किसी औपचारिक दस्तावेज़ के किसी भी लेखक को बिना किसी अर्थ के शब्दों का उपयोग करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए।अदालत को, जहां तक संभव हो, ऐसे निर्माण से बचना चाहिए जो दस्तावेज़ के लेखक द्वारा उपयोग किए गए शब्दों को अर्थहीन और व्यर्थ बना दे या दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से को चुप करा दे और इसे पूरी तरह से अप्रयोज्य बना दे।"

28. दिल्ली विज्ञान मंच (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान देना भी उचित हो सकता है, जिसमें उसने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

"13.....लाइसेंस और अनुबंध देने का सवाल केवल प्रस्तावित प्रतिस्पर्धी दरों पर निर्भर नहीं करता है; एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो उस विशेष व्यापार की पेचीदगियों से अधिक परिचित है।जबकि किसी वैधानिक प्राधिकरण या इस प्रकार गठित निकाय को लाइसेंस देने के लिए राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर सर्वोत्तम प्रस्तावों का चयन करने का अधिकार होना चाहिए। जब तक कोई पीड़ित पक्ष अदालत को संतुष्ट नहीं करता है कि चयन के संबंध में अंतिम निर्णय दूषित कर दिया गया है, आम तौर पर अदालतों को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए।"

(महत्व दिया गया)

29. मोंटेकार्लो लिमिटेड बनाम एनटीपीसी लिमिटेड (2016) 15 एससीसी 272, इस न्यायालय ने निविदाओं के मामलों में निर्णय लेने के लिए मालिक की स्वतंत्रता पर निम्नानुसार प्रकाश डालाः

"26. हम कानून के उपरोक्त कथन से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। हमारे पास ऐसा करने के कारण हैं। वर्तमान परिदृश्य में, निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं और अत्यधिक जटिल तकनीकी विषयों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए काम की प्रकृति की समझ और आकलन की आवश्यकता होती है और वह उद्देश्य जो पूरा किया जाना है। प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक क्षेत्र में यह आम जानकारी है कि निविदाएं आमंत्रित करने के नोटिस के अनुसार तकनीकी बोलियों की तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाती है और कभी-कभी मालिक के संगठन से असंबद्ध लोगों से तीसरे पक्ष की सहायता ली जाती है।यह वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करता है।निविदाकर्ता की विशेषज्ञता और तकनीकी क्षमता और क्षमता का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए।वित्तीय मूल्यांकन के मामलों में सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं।ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जांचने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि तकनीकी क्षमता और वित्तीय व्यवहार्यता में उत्साह है और वे व्यवहार्य और यथार्थवादी हैं।एक बहु-आयामी जटिल दृष्टिकोण है; प्रकृति में अत्यधिक तकनीकी। जिन निविदाओं में सार्वजनिक धन को नीलामी के लिए रखा जाता है, वे एक अलग स्थिति में होते हैं। जिस निविदा से हम संबंधित हैं, उसकी आवंटन के लिए किसी भी योजना से तुलना नहीं की जा सकती है। जिस क्षेत्र का हमने उल्लेख किया है, उसके लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है।लागू किए गए मापदंड अलग-अलग हैं। इसका उद्देश्य निष्पादन और समय अनुसूची के पालन में उच्च स्तर की पूर्णता प्राप्त करना है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि ये निविदाएं न्यायिक समीक्षा की जांच से बच जाएंगी। यदि दृष्टिकोण मनमाना है या दुर्भावनापूर्ण है या अपनाई गई प्रक्रिया किसी के पक्ष में है तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए कि उक्त विक्रतियो को दूर रखा गया है। लेकिन जहां एक निर्णय लिया जाता है जो स्पष्ट रूप से निविदा दस्तावेज की भाषा या उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए निविदा जारी की गई हैए के अनुरूप होता है, अदालत को प्रतिबंध के सिद्धांत का पालन करना चाहिए तकनीकी मूल्यांकन या अदालत द्वारा तुलना की अनुमति नहीं होगी।अन्य क्षेत्रों में अनुबंध से संबंधित एक साधारण उपकरण को स्कैन करने और समझने के लिए लागू किए जाने वाले सिद्धांत को तकनीकी कार्यों और विशेष कौशल की आवश्यकता वाली परियोजनाओं से संबंधित निविदा दस्तावेजों की व्याख्या और सराहना

करने से अलग तरीके से माना जाना चाहिए।मालिक को उद्देश्य को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए और संयुक्तत: स्वतंत्र रूप से खेलने की अनुमति होनी चाहिए।"

(महत्व दिया गया)

30.सेंट्रल कोलफील्ड्स (उपरोक्त) में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नियोक्ता एन. आई. टी. से विपथगामी होने का भी निर्णय ले सकता हैः

"48. इसलिए, एन. आई. टी. की अवधि आवश्यक है या नहीं, यह नियोक्ता द्वारा लिया गया निर्णय है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए।भले ही अवधि आवश्यक हो, नियोक्ता के पास इससे विचलन करने का अंतर्निहित अधिकार है बशर्ते कि विचलन सभी बोलीदाताओं और संभावित बोलीदाताओं पर लागू किया जाए जैसा कि रमन्ना दयराम शेट्टी में अभिनिर्धारित किया गया है।हालाँकि, यदि नियोक्ता द्वारा कार्यकाल सहायक या सहायक माना जाता है, तो उस निर्णय का भी सम्मान किया जाना चाहिए।उस निर्णय की वैधता पर बहुत सीमित आधारों पर सवाल उठाया जा सकता है, जैसा कि ऊपर चर्चा किए गए विभिन्न निर्णयों में उल्लेख किया गया है, लेकिन निर्णय की दृढ़ता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, अन्यथा यह न्यायालय निविदा जारी करने वाले प्राधिकरण का कार्य संभाल लेगा, जो वह नहीं कर सकता है।"

(महत्व दिया गया)

31.सार्वजनिक प्राधिकरणों को अनुबंधों और निविदाओं के मामलों में इतनी व्यापक छूट देने का कारण स्टर्लिंग कंप्यूटर (उपरोक्त) में स्पष्ट किया गया था।इसमें न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"12. कभी-कभी यह कहा जाता है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों को नीतियों को तैयार करने में उतनी ही स्वतंत्रता होनी चाहिए जितनी उन्हें अनुबंध करते समय भी होनी चाहिए क्योंकि कई अनुबंध सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन या प्रक्षेपण के बराबर होते हैं।लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि नीतियों के विपरीत, अनुबंध कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं हैं और वे अधिकार को प्रतिबद्ध करते हैं कई मामलों में वर्षों तक संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य होना भी अभिनिर्धारित किया जा सकताहै।यही कारण है कि अदालतों ने इस बात पर जोर दिया है कि संविदात्मक मामलों में भी सार्वजनिक प्राधिकरण को निरंकुश विवेक नहीं होना चाहिए।वाणिज्यिक तत्व वाले अनुबंधों में, अधिकारियों को कुछ और विवेकाधिकार देना पड़ता है ताकि वे राजस्व में वृद्धि पर नजर रखते हुए व्यक्तियों के साथ अनुबंध कर सकें।लेकिन ऐसे मामलों में भी उन्हें सार्वजनिक संपत्ति से निपटने के दौरान अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त मानदंडों का पालन करना पड़ता है।अदालतों के लिए किसी प्राधिकरण द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर सवाल उठाना और निर्णय लेना संभव नहीं है, क्योंकि कई सरकारी उपक्रम, जिन्होंने आने वाले समय में उत्पादों की बिक्री और खरीद के मामलों में एकाधिकार हासिल कर लिया है और इतने सारे उद्यम हाथ में हैं, वे इस दलील के साथ सामने आ सकते हैं कि अनुबंध देते

समय अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना हमेशा संभव नहीं है।कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिकारियों को एक विवेकाधिकार देना पड़ता है, जिन्हें अनुबंध में प्रवेश करना होता है, जिससे उन्हें यह निर्णय लेने के उद्देश्य से समग्र स्थिति का आकलन करने की स्वतंत्रता मिलती है कि अनुबंध किसे और किन शर्तों पर दिया जाए।यदि निर्णय ईमानदारी से लिए गए हैं, हालांकि अदालतों द्वारा निर्धारित मानदंडों का सख्ती से पालन नहीं किया गया है, तो ऐसे निर्णय न्यायमूर्ति होम्स द्वारा निर्धारित सिद्धांत पर बरकरार रखे जाते हैं, कि अदालतों को कार्यकारी निर्णयों की संवैधानिक वैधता का न्याय करते समय कार्यपालिका को कुछ हद तक प्ले इन दा जॉइंटकी स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए।"

32. स्टर्लिंग कंप्यूटर (उपर्युक्त) में यह भी देखा गया कि प्रस्तावों पर निर्णय लेने में अधिकारियों को स्वाधीनता दिया जाना चाहिए।इसमें, न्यायालय ने कहा कि कोई भी न्यायिक हस्तक्षेप कार्यपालिका के निर्णय लेने के अनन्य अधिकार का अतिक्रमण है।

33. इस मामले में, निश्चित रूप से, सफल बोलीदाता तकनीकी रूप से अधिक योग्य था और उसे अधिक अंक मिले।आम तौर पर, अनुबंध सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया जा सकता है यदि यह जनहित में है।केवल इसलिए कि बीवीजी इंडिया लिमिटेड की वित्तीय बोली सबसे कम है, नियमों और शर्तों के अनुपालन की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

34. जैसा कि प्रत्यर्थी नं 3 द्वारा सही तर्क दिया गया है, लाइसेंस देने वाले सांविधिक प्राधिकारी के पास निर्धारित नियमों और शर्तों पर सर्वोत्तम प्रस्ताव का चयन करने का अधिकार होना चाहिए।तकनीकी विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि, "उपरोक्त सभी पहलू उच्च स्तर की तकनीक और कुशलता की मांग करते हैं बजाय। सामग्री परिवहन के लिए केवल सबसे कम वित्तीय मूल्य पर निर्भर रहना ।पीठ ने कहा, "जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब इसमें अनुचितता, तर्कहीनता या मनमानेपन हो और पूर्वाग्रह और दुर्भावना से बचा जा सके।एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर **(**उपर्युक्त) में इस न्यायालय ने निम्नलिखित तरीके से ऐसा ही निर्णय दियाः

"13. दूसरे शब्दों में, निर्णय लेने की प्रक्रिया या प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के साथ केवल असहमति संवैधानिक न्यायालय के हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। संवैधानिक न्यायालय द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया या निर्णय में हस्तक्षेप करने से पहले दुर्भावना की सीमा, किसी का पक्ष लेने का इरादा या मनमानेपन, तर्कहीनता या विकृति को पूरा किया जाना चाहिए।"

35. निविदाओं का मूल्यांकन करना और अनुबंध प्रदान करना अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक लेनदेन/अनुबंध हैं।यदि अनुबंध देने से संबंधित निर्णय जनहित में है, तो न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भले ही अनुबंध देने में प्रक्रियात्मक विचलन या त्रुटि हो।लोक हित की अनदेखी करके निजी हित की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।कृत्रिम शिकायत के साथ असफल बोलीदाताओं द्वारा किए गए प्रयासों और कुछ तकनीकी और प्रक्रियात्मक खामियों पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर उद्देश्य को विफल करने के प्रयासों को अदालतों द्वारा दृढ़ता से संभाला जाना चाहिए।यदि कोई तर्कहीनता या मनमानेपन नहीं है तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग से बचा जाना चाहिए।हस्तगत मामले में, हम

कार्रवाई करते समय विशेषज्ञ निकाय की ओर से कोई अवैधता, मनमानेपन, तर्कहीनता या अनुचितता नहीं पाते हैं।इसलिए भी, हम निर्णय लेते समय निगम की ओर से या तकनीकी विशेषज्ञ की ओर से कोई पूर्वाग्रह या दुर्भावना नहीं पाते हैं।इसके अलावा, निर्णय जनहित और सफल बोलीदाता के कार्य अनुभव को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है।

36. जैसा कि टाटा सेल्युलर (उपर्युक्त) में कहा गया है, निविदा की शर्तें न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं हैं क्योंकि निविदा के लिए निमंत्रण अनुबंध का मामला है।अनुबंध पर निर्णय विशेषज्ञों द्वारा गुणात्मक रूप से किए जाते हैं।मेसर्स इको सेव सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (उत्तरदाता सं।एसएलपी (सी) संख्या से उत्पन्न सिविल अपील में 2.11967/2016)उज्जैन नगर निगम के एक परियोजना सलाहकार और तकनीकी सलाहकार हैं।यह तकनीकी परामर्श और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है।प्रत्यर्थी नं.2 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज यह बताएगा कि प्रत्यर्थी नं2 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में विशेषज्ञ हैं।यह हमारे संज्ञान में लाया गयाहै कि प्रत्यर्थी नं2 ने 2012 से 2042 की अवधि के लिए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 के उन्नयन, व्यवस्थितकरण और पालन के लिए उज्जैन शहर की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.) सह मास्टर प्लान विकसित किया है और कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन ने इस उद्देश्य के लिए 35.88 करोड़ स्वीकृत किए हैं।किसी भी पक्ष द्वारा कोई विवाद नहीं है जो प्रत्यर्थी नं।2 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में विशेषज्ञ हैं।हम यह भी जोड़ते हैं कि तकनीकी समिति के खिलाफ पक्षपात या दुर्भावना का कोई आरोप नहीं है, हालांकि बीवीजी इंडिया लिमिटेड द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष आधार लिया गया है कि विशेषज्ञ समिति का निर्णय उचित नहीं है।

37. एन. आई. टी. विषय में, निविदाकारों की क्षमता, विशेषज्ञता और दक्षता को नियंत्रित करने वाले 9 पात्रता मानदंडों में से, मानदंड 1 से 5 में नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट की मात्रा के इकाई-मापन और इस तरह के काम की समय अवधि के आधार पर एक श्रेणीबद्ध अंकन प्रणाली है, जो निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक-7 में उल्लिखित प्रमाण पत्रों द्वारा विधिवत समर्थित है।निविदा प्रक्रिया में सभी प्रतिभागियों ने तकनीकी पात्रता मूल्यांकन के लिए उक्त प्रक्रिया का पालन किया है।प्रतिभागियों के लिए पात्रता मानदंड एन. आई. टी. के अनुच्छेद III में निर्धारित किए गए हैं और इसमें उल्लिखित मानदंड 6 और 7 प्रासंगिक जानकारी, आवश्यक डेटा, लेखन और एन. आई. टी. के लिए निविदाकर्ता की विशेषज्ञता, अनुभव और प्रतिक्रिया को साबित करने वाले प्रकटीकरण पर आधारित हैं। पात्रता मानदंड "अच्छे प्रदर्शन के ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले 3 वर्षों के दौरान एस. डब्ल्यू. एम. निविदा दायित्वों के लिए प्रतिक्रिया और बैकआउट/चूक से मुक्त" पर आधारित है, जिसके लिए अनुलग्नक 12 और 13 के अनुसार प्रक्रिया में प्रतिभागियों द्वारा विवरण प्रस्तुत किया जाना है।इसके अलावा, अनुलग्नक 13 मुकदमों, कारण दिखाने की सूचनाओं, देरी, कार्य निलंबन आदि के बारे में जानकारी के संबंध में बहुत विशिष्ट है, और Rs.100-के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत मुहर लगाए गए वचन के रूप में आवश्यक है।

38. अभिलेखों से पता चलता है कि तकनीकी पात्रता का मूल्यांकन तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा 3.6.2015 और 6.6.2015 के बीच पूरा किया गया था और प्रतियां कार्यकारी अभियंता,

उज्जैन नगर निगम को प्रस्तुत की गई थीं।इसके बाद, सभी तीन तकनीकी योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां 16.06.2015 पर खोली गईं और वित्तीय परिणामों को आगे के विश्लेषण के लिए परियोजना सलाहकार को सूचित किया गया।तीनों बोलीदाताओं के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा प्राप्त अंतिम अंक 18.06.2015 निम्नानुसार हैंः

1. तकनीकी बोली का मूल्यांकनः

एस. एल. नहीं।	निविदाकार का नाम	95 में से प्राप्त अंक	100% आधार पर	80 प्रतिशत भार के बाद का कारक	तकनीकी टी. एल. में मूल्यांक
1.	मेसर्स ग्लोबल वेस्ट एम. जी. टी.	80.	84.21	67.36	टीएल1
2.	मेसर्स बीवीजी इंडिया लिमिटेड	70.	73.68	58.94	टीएल2
3.	मेसर्स अर्थ कनेक्ट ट्रांसवे	65.	68.42	54.73	टीएल3

वित्तीय बोली का मूल्यांकनः

Sl.No।	मापदंड	निविदाकारः मेसर्स ग्लोबल वेस्ट एम. जी. टी.	निविदाकारः मेसर्स बीवीजी इंडिया लिमिटेड	निविदाकारः मेसर्स अर्थ कनेक्ट ट्रांसवे
1.	एम. एस. डब्ल्यू. का मूल्य उद्धरण Rs./NT	171.0	1454	1978 में
2.	अधिकतम 20 में से प्राप्त अंक	17.	20.	14.67

2. संयुक्त समग्र अंकः

Sl.No।	मापमान	निविदाकारः मेसर्स ग्लोबल वेस्ट एम. जी. टी.	निविदाकारः मेसर्स बीवीजी इंडिया लिमिटेड	निविदाकारः मेसर्स ई आर्थ कनेक्ट टी रैनस्वे

5.	संयुक्त समग्र अंक (टेक + फिन)	84.36	78.94	69. 4
6.	उच्चतम अंक = एल1	एल1	एल2	एल3

39. चूंकि ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सेल प्राइवेट लिमिटेड, यानी 2016 की एसएलपी (सी) संख्या 11967 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलकर्ता ने उच्चतम अंक प्राप्त किया, यानी 84.36, यह एनआईटी की शर्तों के अनुसार परियोजना को प्रदान करने के लिए समग्र रूप से योग्य बोलीदाता के रूप में उभरा। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सेल प्राइवेट लिमिटेड के पास 10 वर्षों का अनुभव है और उसने निविदा के लिए अच्छी प्रतिक्रिया की क्षमता का प्रदर्शन किया है।नतीजतन, इसे एन. आई. टी. की शर्तों के अनुसार एल 1 घोषित किया गया था। तकनीकी विशेषज्ञ प्रत्यर्थी नं 2 द्वारा एक निर्णय पर गुणात्मक रूप से निर्णय लिया गया था।उच्च न्यायालय को अपीलीय प्राधिकरण के रूप में ऐसे निर्णय के गुण-दोष में जाने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से जब कोई पक्षपात या दुर्भावना नहीं थी।

40. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एन. आई. टी. के अनुलग्नक 1 में क्रम संख्या। 11, बो नंलीदाता को संघ के सदस्य के रूप में शामिल किसी भी अन्य कंपनी/फर्म का विवरण निर्धारित करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए प्रत्यर्थी नं.1-बीवीजी इंडिया लिमिटेड ने नकारात्मक में जवाब दिया, जिसका अर्थ है कि कोई अन्य कंपनी/फर्म इस प्रक्रिया में बीवीजी इंडिया लिमिटेड के साथ एक संघ सदस्य के रूप में शामिल नहीं थी।दूसरे शब्दों में, बीवीजी इंडिया लिमिटेड ने संघ के किसी भी सदस्य के बिना अपने दम पर बोली प्रस्तुत की।इसके बावजूद, बीवीजी इंडिया लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 1) ने बीवीजी क्षितिज वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।बीवीजी क्षितिज और प्रत्यर्थी नं. के संबंध/संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।1-बीवीजी इंडिया लिमिटेड।इसलिए, प्रत्यर्थी द्वारा रखी गई निर्भरता नं।1. बीवीजी क्षितिज वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जारी किए गए कथित अनुभव प्रमाण पत्र पर प्रत्यर्थी नं.1 अपने कार्य अनुभव को दिखाने के लिए।पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पी. सी. एम. सी.) प्रमाण पत्र दिनांकित 24.10.2013 मराठी में है और उसी से पता चलता है कि कार्य आदेश 2.3.2012 पर जारी किया गया था।पीसीएमसी प्रमाणपत्र इस प्रकार न तो बीवीजी इंडिया लिमिटेड के तीन साल के अनुभव को दर्शाता है और न ही बीवीजी इंडिया लिमिटेड प्रति दिन 300 मीट्रिक टन से अधिक कचरा/अपशिष्ट संग्रह कर रहा था।चूंकि प्रत्यर्थी नं.प्रत्यर्थी1।प्रत्यर्थी1-बीवीजी इंडिया लिमिटेड बीवीजी क्षितिज वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जारी कथित अनुभव प्रमाण पत्र पर भरोसा नहीं कर सकता था। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रमाण पत्र सं।1 ने पात्रता आवश्यकता को भी पूरा नहीं किया।

41. इसके अलावा, विवादित फैसले के पैराग्राफ 16 में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 21.4.2015 प्रमाण पत्र बीवीजी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत मूल बोली दस्तावेज का

हिस्सा नहीं था और इसे रिट याचिका के अनुलग्नक पी6 के अनुसार पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।चूंकि ऐसा प्रमाण पत्र मूल बोली दस्तावेज का हिस्सा नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय ने पहली बार बीवीजी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे प्रमाण पत्र पर भरोसा करना सही नहीं था।अदालतें निविदा प्रक्रिया में किसी भी प्रतिभागी को बोली दस्तावेज में बदलाव या पूरक करने की अनुमति नहीं देंगी।बीवीजी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में विचाराधीन क्षेत्र में अनुभव का प्रमाण देने वाले किसी भी दस्तावेज के अभाव में, अपीलार्थीगण का यह तर्क देना उचित है कि उच्च न्यायालय वर्षों के अनुभव और विशेषज्ञता की संख्या के शीर्ष के तहत अंकों को 5 से बढ़ाकर 7 करने में सही नहीं है।इसी तरह, उच्च न्यायालय ने जहां तक घर-घर जाकर एकत्र करने के माध्यम से प्रति दिन नियंत्रित किए जाने वाले नगरपालिका ठोस कचरे की मात्रा का संबंध है, अंक 10 से बढ़ाकर 15 करने में सही नहीं था।विवादित आदेश के पैरा 26 में, उच्च न्यायालय ने अपने दम पर तकनीकी पात्रता का मूल्यांकन किया है जैसे कि अपीलीय प्राधिकरण और प्रत्यर्थी नं.1 5 से 7 तक के अनुभव के लिए और 10 से 15 तक प्रति दिन नियंत्रित मात्रा के लिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।पैरा 18 में उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि पी. सी. एम. सी. द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर विचार किया जाना चाहिए था क्योंकि यह नगरपालिका के ठोस कचरे के प्रति दिन 335 मीट्रिक टन के संग्रह को दर्शाता है, उपरोक्त पैराग्राफ में की गई हमारी चर्चा के आलोक में गलत प्रतीत होती है।जहाँ तक तीन दस्तावेजों पर प्रत्यर्थी नं.1 सिडको के संबंध में, उन दस्तावेजों में यह नहीं कहा गया है कि बीवीजी इंडिया लिमिटेड घर-घर जाकर प्रतिदिन 300 मीट्रिक टन नगरपालिका ठोस कचरे का प्रबंधन कर रहा था।

42. उच्च न्यायालय ने भी प्रतिक्रिया के लिए अंक 5 से बढ़ाकर 10 करना उचित नहीं ठहराया।उच्च न्यायालय ने बीबीएमपी और पीसीएमसी से संबंधित दस्तावेजों पर भरोसा किया और अंक 5 से बढ़ाकर 10 कर दिए।हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय प्रतिक्रिया के लिए अंक नहीं बढ़ा सकता था क्योंकि बीवीजी इंडिया लिमिटेड ने इस तथ्य को छिपा दिया था कि उसे बीबीएमपी और अन्य निगमों से कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुए थे।एन. आई. टी. के पृष्ठ 26 पर अनुलग्नक-13 का प्रारूप इंगित करता है कि चौथा स्तंभ "मुकदमे की प्रकृति" के लिए आरक्षित है जिसमें निविदाकर्ता शामिल है या रहा है।उसी अनुलग्नक-13 के बिंदु 4 में इस प्रकार कहा गया है, "आपकी कितनी एमएसडब्ल्यू हैंडलिंग/प्रोसेसिंग परियोजनाओं में अनुबंध के उल्लंघन के लिए कारण बताएँ नोटिस जारी किए गए हैं:"बीवीजी इंडिया लिमिटेड ने अनुलग्नक-13 जमा करते हुए इसे छोड़ दिया। मुकदमेबाजी का कॉलम खाली है, इस तथ्य के बावजूद कि बीबीएमपी द्वारा इसे 73 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। यह तथ्य कि ये नोटिस जारी किए गए थे, बीवीजी इंडिया लिमिटेड द्वारा विवादित नहीं है।इसके बजाय इसने दावा किया कि कारण दर्शाओ नोटिस जारी करना मुकदमे का हिस्सा नहीं है।

43. तकनीकी विशेषज्ञ ने बीवीजी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत निविदा के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद पाया कि बीवीजी इंडिया लिमिटेड "औसत श्रेणी" के अंतर्गत आता है। इसमें इस प्रकार उल्लेख किया गया है:

vi) निविदा और प्रस्तुतियों के प्रति प्रतिक्रिया:

मेसर्स बीवीजी इंडिया द्वारा निविदा प्रस्तुत करना बहुत खराब है, जिससे कई अनुलग्नक अधूरे रह गए हैं और "अलग से दी गई जानकारी" के रूप में संदर्भित हैं।वैधानिक और वित्तीय जानकारी को भी निर्धारित प्रारूपों में नहीं भरा गया है।

मुकदमों (अनुलग्नक-13) और निष्पादन के ट्रैक रिकॉर्ड (अनुलग्नक 12) के बारे में जानकारी का छिपाना।दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली के विवरण में लापरवाही ।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निविदा को औसत श्रेणी यानी 5 अंक मिलते हैं।

44. एन. आई. टी. में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि निविदाकर्ता को उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस का खुलासा करना आवश्यक था।बोली दस्तावेज में उसी से संबंधित विशिष्ट कॉलम के बावजूद, प्रत्यर्थी नं।1 ने उक्त कॉलम को खाली छोड़ दिया था।एक बार जब एक विशिष्ट खंड होता है जिसमें अनुबंध के उल्लंघन के लिए कारण दर्शाएँ नोटिस का उल्लेख करने की आवश्यकता होती है, तो यह निविदाकार पर सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्यकारी था।प्रत्यर्थी के रूप में नं1 ने ऐसा नहीं किया है, और महत्वपूर्ण जानकारी को छिपा दिया है, प्रत्यर्थी नं 2 ने इसके लिए 5 अंक आवंटित किए हैं।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रत्यर्थी नं1 ने एक मेसर्स बीवीजी क्षितिज वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पीसीएमसी द्वारा जारी एक अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय के समक्ष यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि मेसर्स बीवीजी क्षितिज वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बीवीजी इंडिया लिमिटेड के समान है या यह कि यह एक संघ सदस्य है।प्रत्यर्थी सं. द्वारा बोली दस्तावेज में विशिष्ट कथन के आलोक में।प्रत्यर्थी नं1 कि बीवीजी इंडिया लिमिटेड के साथ निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई अन्य संघ सदस्य नहीं है, बीवीजी क्षितिज वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जारी अनुभव प्रमाण पत्र पर बीवीजी इंडिया लिमिटेड द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।प्रत्यर्थी नं.1 ने अपनी बोली एक व्यक्तिगत बोलीदाता के रूप में प्रस्तुत की है न कि एक संघ के रूप में और इसलिए तकनीकी योग्यता को पूरा करने के लाभ के लिए किसी तीसरे पक्ष के प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी नं 1 ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्य के संबंध में बीबीएमपी और जिला पंचायत, दादरा और नगर हवेली, सिलवासा द्वारा उसके खिलाफ जारी 73 कारण बताओ नोटिसों को छिपा दिया था। प्रत्यर्थी नं 1 द्वारा छिपाने के बावजूद, अपने स्वयं के स्रोतों से तकनीकी विशेषज्ञ ने जानकारी एकत्र की और पाया कि बीबीएमपी और अन्य द्वारा प्रत्यर्थी नं.1, के विरुद्ध 73 कारण बताओ सूचना पत्रजारी हुए है जो प्रकट करता है उस प्रत्यर्थी संख्या ने घर-घर जाकर ठोस कचरे के संग्रह के काम में उचित परिश्रम नहीं दिखाया था।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि तकनीकी समिति के लिए यह खुला नहीं था कि वह प्रत्यर्थी नं 1 के खिलाफ जारी किए गए पूर्व-उल्लिखित 73 कारण दर्शाओ नोटिसों को ध्यान में रखे। तकनीकी बोली का मूल्यांकन करना सही नहीं है।जिस उद्देश्य के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं, उसे ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा विशेषज्ञ सलाहकार की उचित परिश्रम और अनुभव की सराहना की जानी चाहिए थी कि 73 कारण बताओ नोटिस प्रत्यर्थी नं. 1. को जारी किए गए जो स्थापित करते है कि प्रत्यर्थी नं. 1 का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था और इसलिए इस तरह के नोटिसों को तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा ध्यान में रखा गया था।सभी निष्पक्षता में, प्रत्यर्थी नं1 को अपनी बोली में इन कारकों का खुलासा करना चाहिए था।उसी को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने प्रतिक्रियाशीलता के लिए अंक 5 से बढ़ाकर 10 करना उचित नहीं था।

2. वित्तीय बोली का मूल्यांकनः

45. उच्च न्यायालय द्वारा लागू वित्तीय बोली के मूल्यांकन का तरीका भी उचित नहीं है, और अतार्किक है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तकनीकी विशेषज्ञ ने, हमारी सुविचारित राय में, जहां तक वित्तीय बोलियों का संबंध है, बोलीदाताओं के संबंध में निम्नलिखित सूत्र को सही ढंग से लागू किया हैः

एफएल1 x 20

एफएल2/एफएल3/एफएल4

दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन सूत्र को फिर से बनाया है जिसमें 20 का गुणन नहीं अपनाया गया हैः

एफएल1

एफएल2/एफएल3/एफएल4

चूँकि 20 का गुणन उच्च न्यायालय द्वारा नहीं अपनाया गया है (उसी को तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा बोली लगाने वालो के सम्बन्ध में उचित रूप से अपनाया गया है), इसी के कारण अनुचितता और न्याय का उपहास हुआ है।उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया सूत्र बिल्कुल भी उचित नहीं है।एन. आई. टी. ने वित्तीय बोली के लिए अंकों की गणना की विधि निर्धारित की है।सबसे कम बोली, यानी एफ. एल. 1 को 20 अंक दिए जाएंगे।इसके बाद अन्य पक्षों को सूत्र (एन. आई. टी. के अनुच्छेद III के खंड 3.1.3 में निर्धारित), यानी एफ. एल. 1/एफ. एल. 2 x 20 = एफ. एल. 2 के वित्तीय अंक द्वारा अंक दिए जाएंगे।इस मामले में, बीवीजी इंडिया लिमिटेड का एफएल1 1454 था, जबकि एफएल2 1710 था, जो सफल बोलीदाता यानी ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सेल प्राइवेट लिमिटेड का था। इस प्रकार, जहां तक वित्तीय बोली का संबंध है, 1454 (एफ. एल. 1) को 1710 (एफ. एल. 2) से विभाजित करके 20 अंकों से गुणा करने पर ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सेल प्राइवेट लिमिटेड को 17 अंक मिलते हैं।इसके विपरीत, उच्च न्यायालय 20 के अंकों के साथ वित्तीय बोलियों के अनुपात को गुणा करने में विफल रहा है और इस प्रकार गलती से 17 के बजाय 0.85 के अंक पर पहुंच गया है।

46. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के पैरा 25 में कहा कि तकनीकी सलाहकार ने सफल बोलीदाता को अर्हता प्राप्त करने के लिए मीरा भायंदर द्वारा जारी किए गए दिनांकित 16.07.2015 प्रमाण पत्र पर गलत तरीके से भरोसा किया था क्योंकि तकनीकी विशेषज्ञ ने 6.6.2015 पर तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की थी।उच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि तकनीकी मूल्यांकन की तारीख पर मीरा भायंदर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अस्तित्व में नहीं था।अभिलेखों से पता चलता है कि तकनीकी विशेषज्ञ ने दिनांकित 16.07.2015 प्रमाण पत्र पर भरोसा नहीं किया था।उक्त प्रमाणपत्र पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एक अतिरिक्त दस्तावेज था, जिसमें अनुलग्नक आर4 से आर6 के अनुसार उत्तर शपथ पत्र भी था।जबकि, सफल बोलीदाता द्वारा मीरा भायंदर के संबंध में प्रस्तुत किया गया दस्तावेज़ 15.1.2015 दिनांकित एक प्रमाण पत्र था, जो 6.6.2015 दिनांकित तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट से बहुत पहले था।सफल बोलीदाता की

ओर से दायर जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक आर-21 से भी यही स्पष्ट है।इसलिए, मीरा भायंदर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के संबंध में उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ और निष्कर्ष सही नहीं हैं।

47. हस्तगत मामले में, हम निर्णय लेने की प्रक्रिया या निर्णय को मनमाना या तर्कहीन नहीं पाते हैं।

48. संबंधित प्राधिकारी अनुबंध के तहत सौंपे जाने वाले काम के आधार पर सबसे अच्छे व्यक्ति या सबसे अच्छे उद्धरण का पता लगाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है।यदि किसी बोलीदाता को घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने आदि के मामले में विभिन्न नगर निगमों से कई कारण-बताओ नोटिसों का सामना करना पड़ा था, तो अदालत प्राधिकरण को काम करने के लिए ऐसे अयोग्य व्यक्ति/कंपनी को चुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अंततः जनहित की रक्षा की जानी चाहिए।जनता अनुबंध को समय पर पूरा करने में सीधे रुचि लेगी ताकि सेवाएं जनता के लिए तेजी से और प्रभावी ढंग से उपलब्ध हो सकें।शुरू किए गए कार्यों की गुणवत्ता में भी जनता की रुचि होगी।काम या सामान की खराब गुणवत्ता से भारी सार्वजनिक कठिनाई हो सकती है और गलतियों को सुधारने या दोषों को सुधारने या कभी-कभी पूरे काम को फिर से करने में भी पर्याप्त वित्तीय परिव्यय हो सकता है। रोजमर्रा के आधार पर घर-घर कचरा इकट्ठा करने में लापरवाही या देरी से निश्चित रूप से सड़कों और सार्वजनिक संपत्तियों पर कचरा इकट्ठा होगा, जिससे स्वास्थ्य को खतरा होगा और शहर की सफाई भी कम होगी।चूँकि जनता प्रत्यक्ष रूप से रुचि रखती है और प्रभावित होगी यदि सौंपे गए काम को उचित रूप से नहीं किया जाता है, और जैसा कि तकनीकी विशेषज्ञ ने पाया है कि प्रत्यर्थीनं1 यह काम सौंपे जाने के लिए एक उपयुक्त कंपनी नहीं होगी क्योंकि इसे विभिन्न नगर निगमों से 73 कारण दर्शाओ नोटिसों का सामना करना पड़ा था, इसलिए उच्च न्यायालय प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था।हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने मामले में शामिल जनहित के तत्व की अनदेखी की है।

49. जैसा कि ऊपर बताया गया है, जब तक कि न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि निर्णय लेने की प्रक्रिया या प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय दुर्भावनापूर्ण, मनमानेपन या विकृति से भरा हुआ है, या कि प्राधिकरण का इरादा किसी का पक्ष लेने का है, संवैधानिक न्यायालय निर्णय लेने की प्रक्रिया या निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

50. इस प्रकार, इस अपील में तय किए जाने वाले प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया गया हैः

(ए) न्यायिक समीक्षा के दायरे में, उच्च न्यायालय आम तौर पर एक बोलीदाता की तकनीकी योग्यता के मुद्दों पर विशेषज्ञ सलाहकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब सलाहकार बोलीदाता के गैर-प्रदर्शन के आधार सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है;

(ख) एक बोलीदाता जो स्पष्ट रूप से यह घोषणा करते हुए बोली प्रस्तुत करता है कि वह इसे स्वतंत्र रूप से और बिना किसी भागीदार, संघ या संयुक्त उद्यम के प्रस्तुत कर रहा है,

वह अपनी योग्यता के लिए किसी भी तीसरे पक्ष की तकनीकी योग्यता पर भरोसा नहीं कर सकता है।

(ग) अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पक्षकारों की तकनीकी बोलियों और वित्तीय बोलियों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना न्यायालय के लिए खुला नहीं है क्योंकि जब तक दुर्भावना, किसी का पक्ष लेने का इरादा या पक्षपात, मनमानेपन, तर्कहीनता या विकृति की सीमाएँ पूरी नहीं होती हैं, जब तक कि कोई निर्णय विशुद्ध रूप से सार्वजनिक हित पर नहीं लिया जाता है, तब तक न्यायालय को सामान्य रूप से न्यायिक संयम का प्रयोग करना चाहिए।

51. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे अपास्त किया जाता है।

52. यह तत्काल अपीलों की अनुमति दी जाती है।खर्चो के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों की अनुमति दी गई।